असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 24 मार्च, 2021 ई0
द्वितीय सत्र — 03 चैत्र, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-73 (श्री आलोक कुमार मेहता, क्षेत्र सं0-134, उजियारपुर)
(अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-74 (श्री प्रेम शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-99, बैकुण्ठपुर)
(अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-75 (श्री संदीप सौरभ, क्षेत्र सं0-190, पालीगंज)
(अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-76 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र सं0-36, मधुबनी)
(अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन से एक अनुरोध है कि आज की जो कार्यसूची है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वैसे तो सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का निर्वाचन एक अहम कार्य होता है और आज की सूची में वह शून्यकाल, कार्य स्थगन और ध्यानाकर्षण के बाद है ।

महोदय, आप इस बात से अवगत हैं कि सामान्य रूप से यह समय 12.00 बजे से शुरू होकर 1.00 बजे के बीच का होता है और 12.00 बजे से आज हमलोगों का जो दूसरा सदन है, जो उच्च सदन है बिहार विधान परिषद, उसका भी सत्र चल रहा है और उसमें संयोग से वैसे कई विभाग का आज प्रश्नोत्तर का दिन है जिसके मंत्रीगण इस सदन के सदस्य हैं, उस हाल में अगर उस सदन में प्रश्नोत्तर काल चलेगा तो मंत्रियों की बाध्यता होगी कि या तो वहाँ रहें या यहाँ रहें । यहाँ भी मतदान की प्रक्रिया होगी, वहाँ प्रश्नोत्तर होगा, दोनों जगह उनका होना उतना ही आवश्यक है । इसलिये वहाँ भी उनसे अनुरोध किया गया है कि थोड़ा बाद में ले लेंगे प्रश्नों को, यहाँ अगर प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो यह

सुविधाजनक होगा । वैसे आसन का फैसला, आसन जो निर्णय लेगा, हमलोग उसके साथ हैं ।

अध्यक्ष : निर्वाचन से जुड़ा हुआ मामला है । प्रश्नकाल होने देते हैं क्योंकि निर्वाचन में विपक्ष का भी अहम रोल है और सूचना सूचीबद्ध जो हुई है, वह समय तय है । समय में परिवर्तन के लिए एक बार सबको बुलाकर बैठना पड़ेगा तभी समय में परिवर्तन किया जा सकता है या सदन में सभी लोग रहते तो सदन की सहमति से समय में परिवर्तन किया जा सकता था । इसपर एक बार विचार करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ठीक है । प्रश्नोत्तर काल के बाद देख लीजियेगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–77 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र सं0–196, तरारी)

(अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–78 (श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0–83, दरभंगा)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है । निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए NCVT (National Council for Vocational Training) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में NCVT Affiliation Norms बनाया गया है, जिसमें निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास 3 फेज का विद्युत कनेक्शन तथा प्रशिक्षण के लिए आधारभूत संरचना यथा कर्मशाला, वर्गकक्ष इत्यादि का होना अनिवार्य है।

2– NCVT Affiliation Norms के अनुसार निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संबंधन प्राप्त करने के निमित्त आवेदकों द्वारा आवेदन आवेदित करने के समय ही 3 फेज विद्युत कनेक्शन का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होता है, तत्पश्चात् महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT), भारत सरकार, नई दिल्ली एवं निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित संस्थान का निरीक्षण किया जाता है । निरीक्षणोपरान्त समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संबंधित संस्थान का NCVT से संबंधित प्रदान करने पर निर्णय लिया जाता है ।

3– उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

किसी भी निजी संस्थान के संबंध में अनियमितता प्रकाश में आने पर जॉच करवाकर कार्रवाई हेतु महानिदेशालय प्रशिक्षण (DGT), भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा की जाती है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नॉर्म्स है 3 फेज का बिजली का कनेक्शन लेना है तभी NOC दिया जाता है, तभी मान्यता दी जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 में बिजली कनेक्शन के लिए संस्था के संचालन का मामला प्रकाश में आया था ? 300 से अधिक संस्थाओं में अनियमितता पायी गई थी । इसमें जॉच कमिटी का भी गठन हुआ था और उसमें 3-4 तरह के मामले प्रकाश में आये थे । पहला, बिना वैध कनेक्शन के संस्था का संचालन हो रहा है । यह जो जॉच हुई है, उस जॉच में आया था । दूसरा, फर्जी विपत्र दिखाकर, बिजली विभाग से जब रिपोर्ट ली गयी जॉच समिति द्वारा तो फर्जी विपत्र दिखाकर मान्यता ली गयी । 3 फेज कनेक्शन नहीं लेकर मात्र 1 फेज कनेक्शन लिया गया और अध्यक्ष महोदय, लगभग 200 संस्था के आसपास में वर्कशॉप एवं टूल्स का घोर अभाव था और जो संस्था के बिजली विपत्र की जॉच हुई, उसमें घरेलू कनेक्शन से कम उनका बिजली का भुगतान था । अध्यक्ष महोदय, यह जो जॉच हुई, उस जॉच के बाद उस जॉच का क्या फलाफल निकला, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई माननीय मंत्री जी ने उस जॉच रिपोर्ट के आधार पर की ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, NCVT एफिलियेशन नॉर्म्स में किसी भी आई0टी0आई0 को बगैर 3 फेज का लाईन लिये हुये उसको एफिलियेशन दिया ही नहीं जा सकता है । अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूची है तो वे हमें उपलब्ध करावें, हम उसको देखवा लेते हैं, उसकी जॉच करा लेते हैं और जो भी दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जायेंगे । आपकी भावना का ख्याल सरकार जरूर करेगी लेकिन कोई सूची है तो उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सूची हमसे मॉग रहे हैं जबकि इन्हीं के विभाग ने वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में इन 300 संस्थानों के आसपास की जॉच करायी और जॉच की रिपोर्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो जॉच कमिटी ने निष्कर्ष निकाला है कि 200 से उपर संस्थानों में अनियमितता पायी गई । फर्जी बिजली का कनेक्शन दिखा दिया गया, उसका फर्जी विपत्र और बिजली विभाग से जब जॉच हुई तो जो घरेलू खपत है, अगर आप लेथ मशीन लगाते हैं, बहुत सारे टूल्स लगते हैं और आई0टी0आई0 के स्टूडेंट को अगर आप प्रशिक्षण देंगे लगातार तो बिजली का बिल घरेलू से भी कम कैसे आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह पूछना है कि विभाग ने जो जॉच की है, माननीय मंत्री जी नये हैं लेकिन अब 5-6 महीना हो गया है, यह जॉच इनके विभाग ने की थी,

मैंने थोड़े ही जॉच की है, श्रम विभाग ने जॉच की और उसमें 200 से उपर संस्थानों में अनियमितता पाई, उसने रिपोर्ट दी है विभाग को, उसपर क्या कार्रवाई हुई ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ । ठीक है कि जो भारत सरकार मान्यता देती है, आप NOC देते हैं, आपको पूरा अधिकार है उन संस्थानों के विभागों को जॉच करने का और यह भारी अनियमितता का मामला है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे क्या कि वह जॉच की रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई हुई ? मैं यह पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–2/आजाद/24.03.2021

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जॉच की रिपोर्ट को हम देखवा लेते हैं कि उसमें क्या रिर्पोटिंग है, अभी तक हमारे संज्ञान में यह विषय नहीं आया है । माननीय सदस्य अगर इसको उठा रहे हैं तो हम इसको देखवा लेते हैं लेकिन जो एन0सी0वी0टी0 का नौर्म्स है, उसके हिसाब से एन0सी0वी0टी0, भारत सरकार एफिलियेशन देती है तीन फेज कनेक्शन के बाद । अगर इस विषय में कोई जॉच बैठायी गयी है और उसकी क्या रिपोर्ट आयी है, उसको देखवा लेते हैं और इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे या कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, विभाग उसपर कार्रवाई करेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा था, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और इसपर जॉच कमेटी बैठाकर जॉच की गई तो माननीय मंत्री जी बतावें कि कितने दिनों के अन्दर इसका फलाफल आयेगा, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर विषय है । उस समय हमलोगों ने देखा था कि अखबार में बड़ा–बड़ा बयान आया था फर्जी विपत्र, फर्जी कनेक्शन और इसपर माननीय मंत्री बतावें कि कितने दिनों के अन्दर इसका फलाफल आयेगा ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अगर इनके पास कोई सूची उपलब्ध है तो हमको दे दें । अगर....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जब ये कह रहे हैं कि जॉच कमेटी जॉच की, उन्होंने निकाला कि इतने लोग फर्जी थे तो फिर इनसे सूची मांगना उचित नहीं है ।

श्री जिवेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि .....

अध्यक्ष : आप विभाग से सूची लेकर के अवगत कराइए और इसको आप गंभीरता से लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बता दें ।

अध्यक्ष : समय सीमा बता दीजिए ।

श्री संजय सरावगी : चूँकि माननीय मंत्री जी नये हैं और विभाग ने इनको जानकारी नहीं दी होगी, क्योंकि विभाग के बहुत से पदाधिकारी इसमें फंस रहे हैं । क्योंकि उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए समय सीमा जरूर बतावें ?

अध्यक्ष : समय सीमा बता दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : इसकी जल्द से जल्द जॉच कराकर जो भी दोषी होंगे उनपर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, क्या एक पखवाड़ा में हो जायेगा ? जल्द से जल्द तो 24 घंटा भी होता है, 12 घंटा भी होता है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : हम तुरंत कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता सदन की चिन्ता है, सरकार की चिन्ता है । हम इसको तुरंत जितना जल्दी होगा ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसका समय बता दें । आप एक पखवाड़ा के अन्दर इनको बता दें ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : 30 दिनों के अन्दर हम इसकी जॉच कराकर जो भी होगा, हम इसको देखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, 30 दिन हो गया ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 'क' 1786 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंशतः स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के रामपुर ग्राम में दिनांक 14.11.2020 को अगलगी की घटना हुई थी, इस घटना में श्री राम एकबाल महतो सहित कुल 15 परिवारों का गैर आवासीय घर बथान, पशु घर जल गये थे । गैर आवासीय घर जलने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का लाभ देने का प्रावधान नहीं है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, पूरक है । मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार का यह निश्चय है, क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि सारे बेघरों को घर देंगे ? अगर निश्चय किया है तो बेघरों को घर देना चाहिए । जिस तरह से सरकार ने बहुत अच्छे से 9000 रूपये अगलगी पर हर परिवार को देने का प्रावधान किया है । उसी तरह से मेरा आग्रह है और प्रश्न भी है कि क्या सरकार चाहती है कि सारे बेघरों को घर दिया जाय, चाहे प्रावधान किसी भी योजना से हो और किसी भी मंत्रालय से हो ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का सवाल बहुत माकूल है लेकिन सरकार ने सूचीबद्ध किया है जिन परिवारों को आवास देने के लिए, वह सूचीबद्ध है और

सामाजिक, आर्थिक जातीय आधारित जनगणना 2011 में हुए हैं, उस सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी जाती है और यहां बथान में आग लगी है, पशु घर में लगी है । माननीय सदस्या से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इसके बारे में हमें अलग से लिखकर दे दें तो मनरेगा योजना के तहत पशुओं के लिए जो हम निर्माण कराते हैं, उनके शेड का निर्माण हम करा देंगे, उनकी समस्या का हल हो जायेगा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी से .....

अध्यक्ष : इतना सकारात्मक जवाब दिये हैं, बैठ जाइए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक आग्रह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के थ्रू भी अगर कर सकते हैं तो पूरे बिहार में इसको लागू करें तो अच्छा रहेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0- 'ख' 2196(श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना क्रमशः विभागीय दिशा-निर्देश संख्या-5751, दिनांक 30 जून, 2017 एवं 5752, दिनांक 30 जून, 2017 के आलोक में योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जाता है ।

पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाता है । इस हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 3(स्वी0), दिनांक 3 जून, 2019 जारी किया गया है ।

3. ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगित हुआ था तो मंत्री महोदय अगर कुछ संशोधित जवाब लाये होंगे तो बता दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : बेसिकली अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह हुआ था कि पक्की गली-नाली योजना जो है, वह किस पत्रांक से आदेश निकला था, इसका जिक्र इसमें बड़ा स्पष्ट है कि संख्या-5751, दिनांक 30 जून, 2017 को ही, फिर 5752, दिनांक 30 जून, 2017 को ही इसके आलोक में पत्र निकाल दिया गया था । जिसमें यह मार्गदर्शन दिया गया था कि मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना जो है, इसी के माध्यम से चलाये जायेंगे और इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर कंडिका 4.5 में लिखा हुआ है कि बिहार पंचायत राज्य अधिनियम, 2006 एवं बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति,

कार्य संचालन नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत से संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में सात सदस्यीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से 2 वर्ष के लिए किया जायेगा, जो मुख्य रूप से लाभुक की समिति होगी और ग्राम पंचायत के लिए ग्राम मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव, अनुरक्षण प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार करेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था कि वार्ड क्रियान्वयन समिति क्यों कर रही है ? मेरा प्रश्न यह था कि वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार 7.5 लाख के अन्दर का काम ही विभागीय किया जाना है । लेकिन मुख्यमंत्री गली-नाली एवं नल-जल योजना में 20 लाख तक का, 30 लाख तक गली-नाली नल-जल का काम होता है और पंचायत सरकार भवन 1 करोड़ 30 लाख का पहले ए0डी0ओ0 बनाता था, अब ग्राम पंचायत के स्तर से बन रहा है । लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद् के हाथ पैर को बांध दिया गया और कहा गया कि 7.5 लाख तक ही काम डिपार्टमेंटल करेंगे जबकि जिला परिषद् को दो प्रखंड को जोड़ने वाले पथों को करना है और पंचायत समिति को दो पंचायत को जोड़ने वाले काम को करना है तो मेरा यह कहना है कि यह जो पत्र है, यह वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा,

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति 7.5 लाख से ऊपर तक के स्तर का काम करने का विभागीय आदेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहला पूरक यह है । दूसरा पूरक है कि किस केबिनेट की मीटिंग से पंचायत सरकार भवन का तो केबिनेट से हो गया लेकिन मुख्यमंत्री गली-नाली योजना 7.5 लाख से ऊपर होगा, इसके केबिनेट की स्वीकृति कभी नहीं मिली केवल दिशा निर्देश जारी हुआ और उसमें यह नहीं लिखा गया कि 7.5 लाख से ऊपर का काम गली-नाली का किया जाना है तो क्या माननीय मंत्री महोदय, जिला परिषद् और पंचायत समितियों को भी इस दायरे में रखने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस दिन भी हमने कहा था पूरक में ही कि अभी तक विचार नहीं था लेकिन माननीय सदस्य के भावना को देखते हुए पंचायत समिति और जिला परिषद् में काम अधिक हो सके, इसपर हमलोग विचार करेंगे और इसके आगे के दिनों में इसका दिशा निर्देश भी देने का कष्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-'ग' 966(श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र सं0-133, समस्तीपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2866(श्रीमती ज्योति देवी,क्षेत्र सं0-228,बाराचट्टी(अ0जा0))

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. अस्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत झाझ से धमना मोड़ से ग्राम खपिया तक पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत एल-039 से महुगईन नाम से निर्मित है, जिसकी लम्बाई 3.35 कि0मी0 है । इस पथ का निर्माण कार्य दिनांक 4.1.2019 को पूर्ण हो चुका है । वर्तमान समय में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अविध में है । सम्प्रति पथ की जॉच स्टेट क्वालिटी मॉनिटर एस0क्यू0एम0 के द्वारा माह फरवरी, 2021 में किया गया है, जिसमें पथ की स्थिति संतोषजनक पायी गयी है ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूँ सरकार इतनी चिन्तित है ग्रामीण सड़कों को बनाने के प्रति और अभी अधिकांश सड़क और वह सड़क, अगर माननीय मंत्री महोदय को यह रिपोर्ट मिली है तो माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूँगी कि जो भी क्षेत्र में रोड बने हैं, उनकी एक टीम गठित हो और उसपर गुणवत्तापूर्ण काम हो, यह मैं आग्रह करना चाहती हूँ और दूसरा जो इनका जवाब मिला है महोदय, यह संतोषजनक नहीं है, इसमें हम यही कहेंगे कि ठेकेदार और संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उनको पुनः जॉच करके उसकी रिपयेरिंग की जाय ।

टर्न-3/शंभु/24.03.21

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने इसका फोटो भी मंगवाया है और फोटो में संतोषजनक दिख रहा है, लेकिन माननीय सदस्या का अनुरोध है तो हम फिर से एक बार इसको देखवा लेंगे और इसमें कोई भी दोषी पाया जायेगा तो उसके उपर कार्रवाई भी की जायेगी ।

श्रीमती ज्योति देवी : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2867(डा0 सत्येन्द्र यादव)क्षेत्र सं0-114 मांझी

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2868(श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव)क्षेत्र सं0-17 पिपरा

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड में बूढ़ी गंडक बायॉ तटबंध के कन्ट्री साइड में किलोमीटर 74.00 से 75.00 के बीच भुरकुरवा ग्राम अवस्थित है । बूढ़ी गंडक बायॉ तटबंध के किलोमीटर 74.00 पर अवस्थित

भुरकुरवा पुल के डाउनस्ट्रीम में कन्ट्री साइड की तरफ लो लैण्ड एरिया है, जहां बरसात के दिनों में जल जमाव हो जाता है । बूढ़ी गंडक बायॉ तटबंध के किलोमीटर 75.00 पर एक स्लुइस गेट अवस्थित है, जो वर्तमान में कार्यरत है । जल जमाव की समस्या के निदान हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक-1339, दिनांक 2 मार्च, 2021 से निदेशित किया गया है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, इनके जवाब से हम संतुष्ट हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहेंगे कि बाढ़ आने के पहले इसके स्लुइस गेट को बनवा दें ताकि जल जमाव नहीं हो ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : हमलोग टेक्निकल रिपोर्ट के लिए भेजे हैं, लेकिन हमलोग कोशिश करेंगे कि उससे पहले बनवा दें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2869(श्री शाहनवाज)क्षेत्र सं0-50 जोकीहाट

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2870(श्री आबिदुर रहमान)क्षेत्र सं0-49 अररिया

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2871(श्री सुदामा प्रसाद)क्षेत्र सं0-196 तरारी

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2872(श्री विजय कुमार मण्डल)क्षेत्र सं0-210 दिनारा

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2873(श्री मनोज कुमार यादव)क्षेत्र सं0-16 कल्याणपुर

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2874(श्री महबूब आलम)क्षेत्र सं0-65 बलरामपुर

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2875(श्री इजहारूल हुसैन)क्षेत्र सं0-54 किशनगंज

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2876(श्रीमती शालिनी मिश्रा)क्षेत्र सं0-15 केसरिया

श्री नितीन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में केसरिया से महमदपुर(लम्बाई 3 कि0मी0)के बीच एस0एच0-74 में 8 पुलिया निर्मित है, जो मानक के अनुरूप है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : जी महोदय, धन्यवाद उत्तर के लिए लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को वस्तुस्थिति बताना चाहती हूँ । वास्तविकता यह है कि आठ तो कागज पर पुलिया बने हुए

हैं केसरिया से महमदपुर के बीच में लेकिन सबमें मिट्टी भरी हुई है और पानी की निकासी नहीं होती है जिससे पिछली बार जो बाढ़ आयी थी तो काफी वहां जल जमाव रहा है । इससे खेती वाली जमीन काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है । इसलिए आग्रह है और प्रश्न भी है कि कब तक इस पुलिया से मिट्टी निकालकर जल जमाव को खाली करवा देंगे ?

श्री नितीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो विषय बताया है उसपर निश्चित रूप से वहां के कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जायेगा कि अगले 15 दिनों के अंदर सभी पुलियों से मिट्टी हटाकर क्लीयर किया जाय और पानी को हटाया जाय ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : इनका बराबर इनको मार्गदर्शन मिलते रहता है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, पुलिया के नीचे मिट्टी जमने का मतलब है कि पानी की निकास का जो मार्ग है उसमें मिट्टी आ गयी है तो पथ निर्माण कैसे करेगा ? वह तो पानी के निकासी का काम जिनके जिम्मे है चाहे वह लघु सिंचाई के पास होगा या सिंचाई विभाग के पास होगा वे उसको साफ करेंगे । पथ निर्माण तो पुलिया बनाने का काम करता है ।

अध्यक्ष : चलिए, सुझाव को ग्रहण कर लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, नन्दकिशोर बाबू ने बता दिया कि अनुभव से कैसे मामले को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2877(श्री विजय कुमार)क्षेत्र सं0-169 शेखपुरा

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2878(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता)क्षेत्र सं0-20 चिरैया

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन लोहिया पुल पताही मिठिया, कोदरिया, मिर्जापुर, सुग्गा पीपड़ पथ के चैनल-3.50 कि0मी0 पर अवस्थित है । उक्त पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है जिसका शीर्ष 3054 के अन्तर्गत मरम्मति के क्रम में पुल के स्लैब भाग पर कालीकरण का कार्य कराया गया है जिससे होकर यातायात चालू है । लोहिया पुल के जगह उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वह जो रोड है वह हमलोगों के प्रखंड को जोड़नेवाली रोड है और वह पुल जर्जर है कब वह ध्वस्त हो जायेगी वहां पर सारे लोगों की गाड़ी

रुक जाती है जिससे बहुत परेशानी होती है । इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवाने का आदेश दिया जाय । कब तक करायेंगे इसको ?

अध्यक्ष : कब तक करायेंगे ?

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, इसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है और इस्टीमेट लगभग बन ही चुका है, जल्द ही हो जायेगा ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : सरकार का आदेश भी है कि लोहिया पुल को हटाकर के वहां आर0सी0सी0 पुल बनाना है तो आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनवा दें ।

अध्यक्ष : हां बोल दिये जल्द से जल्द ।

तारांकित प्रश्न सं0-2880(श्री सुरेन्द्र राम)क्षेत्र सं0-119 गरखा

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2881(श्रीमती बीमा भारती)क्षेत्र सं0-60 रूपौली

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत रूपौली प्रखंड के भौवापरवल पंचायत अन्तर्गत कोसी नदी के बायें तट पर अवस्थित बिन्द टोला में बाढ़ वर्ष 2020 पूर्व एजेंडा सं0-154/234, 2020 अन्तर्गत कटाव निरोधी कार्य कराया गया था । बाढ़ के दौरान कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था । बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल सुरक्षित रखा जाता है । विभागीय पत्रांक सं0-1577, दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा उक्त स्थल पर रिंग बांध निर्माण हेतु निरीक्षण कर तकनीकी संभाव्यता के आधार पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को निदेशित किया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-'घ' 2882(श्री कुमार शैलेन्द्र)क्षेत्र सं0-152 बिहपुर

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरे विधान सभा में नारायणपुर से लेकर नरकटिया तक इसमें हजारों एकड़ में पानी फंस जाता है बरसात के समय और जब बरसात समाप्त होता है तो वह पानी फंस जाता है जोकि किसान की उपजाऊ जमीन है । हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जिस किसान के खेत में पानी फंसता है उसको जल्द से जल्द किसी तरह उड़ाही करके या स्लुइस गेट बनाकर के पानी की निकासी करना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में भी दिया है क्योंकि ये पूरा रिवर साइड में है और रिवर साइड में उड़ाही करायेंगे तो फिर आकर वह भर जायेगा । उसकी तो फिजिबिलिटी है नहीं । ये स्लुइस गेट वाली बात कर रहे हैं मैं उसको देखवा लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल

ये गांव सब रिवर साइड के अंदर है और रिवर साइड में उड़ाही नहीं करा सकते हैं, उड़ाही करायेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होनेवाला है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मतलब पानी फंसता है, बीच में ऊंचा है । पानी जब ओवरफ्लो करता है तो पानी इधर कंट्रीसाइड में चला आता है और जब स्लुइस गेट बन जायेगा तो फसल भी हो जायेगा, पानी निकल जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2883(श्री शकील अहमद खॉ)क्षेत्र सं0-64 कदवा

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2884(श्रीमती बीमा भारती)क्षेत्र सं0-60 रूपौली

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री अर्जुन कुमार सिंह के सन्दर्भ में विभागीय कार्यवाही चल रही है । वर्तमान में यह प्रक्रियाधीन है ।

2-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नहीं अपितु जल संसाधन विभाग द्वारा उड़नदस्ता टीम के द्वारा जॉच की गयी थी । विषयवार निरंतर प्रमंडल सालमारी कटिहार से संबंधित था जो वर्ष 2010 से 2014 के बीच के मध्य इसके जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पदस्थापना से संबंधित है । इस हेतु अद्यतन स्थिति के अनुसार विभागीय पत्रांक-225, दिनांक 25.01.2021 के द्वारा जल संसाधन विभाग में इस क्रम में पत्र प्रेषित है । कार्यपालक अभियंता के संख्याबल के अनुसार इन्हें कार्य प्रमंडल बायसी का प्रभार दिया गया है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि संदर्भित मामला में जल संसाधन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी है । जल संसाधन विभाग से प्राप्त मंतव्य के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

टर्न-4/ज्योति/24-03-2021

श्रीमती बीमा भारती : अध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर आरोप रहते हुए धमदाहा में पोस्टिंग है इसके बाद भी वायसी में उसकी पदस्थापना की गयी है इसके बावजूद इसपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इतने गंभीर आरोप रहते हुए वायसी अनुमंडल में उसकी पोस्टिंग की गयी है और उन्हें प्रभार दिया गया है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पत्रांक 225 दिनॉक 25-01-2021 के जल संसाधन विभाग से इसको पत्र भेजा गया है अगर इनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होगा तो तुरंत कार्रवाई इनपर होगी ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी कार्यपालक अभियंता वहीं है और इनपर जो माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है उनकी वायसी में पोस्टिंग है लेकिन धमदाहा में उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने उसपर जॉच कर विभागीय कार्यवाही की है साथ ही साथ उनके लिए अनुशंसा की गयी है कि किसी भी परिस्थिति में फिल्ड में उसकी पोस्टिंग नहीं की जायेगी लेकिन उस परिस्थिति में सरकार ने दो-दो जगह पोस्टिंग की है तो इसमें मैं सरकार की मंशा जानना चाहता हूँ ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनको दो दो जगह पोस्टिंग नहीं मिली है, एक जगह प्रभार मिला है । एक जगह पूर्व से ही इनके प्रभार में था तो जैसे ही उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कुछ भी उनके ऊपर सिद्ध हो जायेगा तो उन्हें हटा लिया जायेगा और उनके ऊपर जो भी समुचित कार्रवाई होगी की जायेगी ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, एक जगह पोस्टिंग है वायसी में और धमदाहा में अतिरिक्त प्रभार में है तो जबकि उनपर विभागीय कार्यवाही चल रही है तो एक जगह चार्ज में और दूसरे जगह उनको प्रभार में देते हैं तो वैसे पदाधिकारी को फिल्ड में रहना चाहिए? आप कितने दिनों तक उचित कार्रवाई करेंगे, यही जानना चाहता हूँ ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जून-जुलाई तक ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको देखवा लीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : पूरे मामले को देखवा लेते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : स्पष्ट सरकार ..

अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं कि जून-जुलाई में हम इसको देखवा लेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : जून-जुलाई में वैसे भी ट्रांसफर होगा लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न था, जिस पदाधिकारी पर सरकार ने जॉच करवायी, सरकार ने उनको दोषी पाया और विभाग ने अनुशंसा की कि किसी भी परिस्थिति में ..

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : हम चाहते हैं कि जब वह पदाधिकारी दोषी है एक जगह उसकी पोस्टिंग है और दूसरी जगह गिफ्ट में प्रभार दे रहे हैं जबकि अविलंब उनपर कार्रवाई होनी चाहिए?

अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं ?

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : जिसपर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा है उसको तुरंत हटवाईये । ससपेंड कीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्यों की चिंता है, उसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई कीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2885 – श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र सं0 73 मधेपुरा)

(अनुपस्थित)

तारांकत प्रश्न संख्या–2886–श्री शमीम अहमद (क्षेत्र सं0–12 नरकटिया)

(अनुपस्थित)

तारांकत प्रश्न संख्या –2887–श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या–138 विभूतिपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 2888–श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र सं0–77 महिषी)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में अवस्थित बसावटों को छुटे हुए बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय APP द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है । तदनुसार समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, 74 वर्ष आजादी को हो गये हैं और उस समय से वह एरिया सड़क नहीं देखा है । प्रथम बार सड़क का सैंक्शन हुआ है न कोई करने वाला है, न देखने वाला है, न कुछ हो रहा है तो यह कबतक होगा यह बतला दीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी पुराने सदस्य हैं विभागीय APP द्वारा यह तो अभी शुरु ही हुआ है और विभागीय APP द्वारा जो छुटे हुए बसावट हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है, फेज वाईज हम उसको जितना जल्द होगा उसको पूरा करवा रहे हैं ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, बहुत जगह थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और कहते हैं कि सर्वे करवायेंगे वहाँ काम बहुत जगह हुआ है थोड़ा थोड़ा लेकिन काम पुनः कोई कर नहीं रहा है । हम उस एरिया में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अपने स्तर से दिखवावें और अपने स्तर से करवा दें ।

तारांकित प्रश्न संख्या–2889–श्री विनोद नारायण झा (क्षेत्र सं0 32 बेनीपट्टी

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत रातू नदी एवं धौस नदी के मिलन बिन्दु के मेन धार में राजकीय उच्च पथ संख्या–52 पर सिउली पुल निर्मित है जिससे सिंचाई विभाग के लिए जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा फाटक निर्माण संबंधी योजना की स्वीकृति नहीं दी गयी थी तकनीकी रूप से भी उच्च पथ संख्या –52 पर अवस्थित सिउली पुल पर फाटक निर्माण संभव नहीं है । वर्तमान में असिंचित क्षेत्रों में पटवन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर खेत तक सिंचाई का

पानी कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्य प्रगतिधीन है । उक्त कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तर पर गठित संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा हरेक असिंचित खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु समुचित योजना का चयन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के तहत प्रश्नगत मामले से संबंधित क्षेत्रों के लिए भी सिंचाई योजना का चयन कार्य प्रक्रियाधीन है योजना के चयन के उपरांत इसकी स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर विचार होगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2890–श्री शकील अहमद खाँ(क्षेत्र सं0–64 कदवा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 2891–श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र सं0148 अलौली(अ0जा0)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–2892–श्री प्रेम शंकर प्रसाद(क्षेत्र सं0–99 बैकुण्ठपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या –2893–श्री कृष्णनंदन पासवान(क्षेत्र सं0 13 हरसिद्धि(अ0जा0)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट निमुहिया को पी.एम.जी.एस.वाई. पथ से सम्पर्कता प्राप्त है पुल स्थल के दूसरी तरफ के बसावट हरदिया टोला, शंकर सरैया, बाबू टोला, गोविंदपुर, टिकैत, समेरा आदि को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम पर 1 कि0मी0 और डाउनस्ट्रीम के एक किलो मीटर पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटो को बारह मासी एकल पथ से सम्पर्कता दिया जाना है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत है ।

अतः प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का जो जवाब आया है, कौन पदाधिकारी जवाब भेजा है, हमको आश्चर्य हो रहा है ।

अध्यक्ष : पता चलेगा ।

श्री कृष्ण नंदन पासवान : हमारा जो क्वेश्चन है संग्रामपुर, केसरिया, कोटवा पी.डब्लू.डी. पथ है जो जिला समाहरणालय को जोड़ता है और जनहित में बेरुआघाट पुल बन जायेगा तो 11 कि.मी. की दूरी समाहरणालय आने के लिए कम हो जायेगी ऐसे माननीय मंत्री बसावट और अन्य चीजों का जिक्र करते हुए निरस्त करना चाहते हैं । इसलिए आपसे निवेदन

करता हूॅ महोदय कि जनहित में चूंकि चार प्रखंडो को जोड़ने वाला यह बेरुआघाट है इसलिए जन हित में कबतक पुल का निर्माण करना चाहेंगे माननीय मंत्री यह बतलावें?

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 1 कि0मी0 और डाउनस्ट्रीम में भी एक किलोमीटर में पुल अवस्थित है महोदय, अभी कोई निर्माणाधीन का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, एक बार जॉच करवा लिया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, जॉच करवा ली जाय ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : 60 कि.मी. की दूरी पर वह पुल है, इनको रिपोर्ट आयी है कि 1 कि0मी0 की दूरी पर पुल है ।

अध्यक्ष : आप देखवा लीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : ठीक है ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : कैसा कैसा जवाब मंत्री जी आप देते हैं, आप इसको देखवाईये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया का भी एक सवाल है ।..

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न करते हैं या पूरक प्रश्न करते हैं तो कुछ एक्सट्रा शब्द बोलने से सदन की गरिमा नहीं बढ़ती है, न आपकी गरिमा बढ़ती है, पूरक प्रश्न पूछें, पूरक प्रश्न के माध्यम से विभाग को घेरें ।

टर्न-5/पुलकित-अभिनीत/24.03.2021

अध्यक्ष: श्री रितलाल राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2894 (श्री रितलाल राय, क्षेत्र सं0-186, दानापुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2895 (श्री चन्द्र शेखर, क्षेत्र सं0- 73 मधेपुरा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2896 (श्री आनंद शंकर सिंह (क्षेत्र सं0- 223, औरंगाबाद)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2897 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र सं0- 47 रानीगंज (अ0जा0))

अध्यक्ष: श्री अचमित ऋषिदेव, प्रश्न पूछे हैं न ? आप उठकर बोलिए ।

श्री अचमित ऋषिदेव: जी । पूछता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर अवस्थित योग्य बसावटों यथा- खरसाही टोला- उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनांतर्गत निर्मित रानीगंज-फारबिसगंज मुख्य पथ हसनपुर मिडिल स्कूल तक पथ से

प्राप्त है । जगता टोला- उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित बिस्टोरिया से जगता पथ से प्राप्त है । कुरियाही मुशहरी टोला- उक्त बसावट की संपर्कता शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनांतर्गत निर्मित अजीम हाउस नया टोला से कुरियाही मुशहरी पथ से प्राप्त है ।

उपरोक्त के अलावा प्रश्नाधीन पथ के आरेखन पर कोई योग्य बसावट नहीं रहने के कारण इसे किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है । इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2898 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र सं0- 207, चेनारी (अ0जा0))

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2899 (श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, क्षेत्र सं0- 153, गोपालपुर)

श्री नरेन्द्र कुमार नीरजः पूछता हूं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । पथ निर्माण विभाग से ट्रांसफर होकर आया है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी नहीं आया है ।

श्री जयंत राज, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्षः आपके पास है ?

श्री जयंत राज, मंत्रीः जी । अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह प्रश्न तीन पथों से संबंधित है । शंकरपुर से नदौल घाट तक, इस पथ की लंबाई 1.85 किलोमीटर है, जो नई अनुरक्षण नीति के अंतर्गत स्वीकृत है । पथ की निविदा प्रक्रिया में है....

श्री संजय सरावगीः महोदय, यह तो स्लूईस गेट का मामला है । दूसरा मामला है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, यह पथ निर्माण विभाग से जल संसाधन विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

अध्यक्षः यह ट्रांसफर हुआ है पथ निर्माण विभाग से जल संसाधन विभाग में और ये कह रहे हैं कि जवाब आया हुआ है । आपके पास है इसका जवाब ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः नहीं महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2900 (श्री सुर्यकांत पासवान (क्षेत्र सं0- 147 बखरी, (अ0जा0))

(अनुपस्थित)

अध्यक्षः श्रीमती अरूणा देवी ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार नीरजः अध्यक्ष महोदय, जब हम 2005 में बने थे उसी टाईम से यह मुद्दा उठा रहे हैं ।

अध्यक्षः 2005 से ही ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरजः जी, महोदय, 2005 से ही । कभी विजय बाबू कहते हैं यहां बन जाता, जल संसाधन मंत्री थे, ये बनायेंगे ओझराते रहते हैं ।

अध्यक्षः ठीक है, बैठिए । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नरेन्द्र कुमार नीरज जी कह रहे थे कि 2005 से ही यह मुद्दा उठा रहे हैं । सही बात है महोदय, 2005 से उठा रहे हैं तो 2005 से ये लगातार जीत रहे हैं तो इस मुद्दे को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं ?

अध्यक्षः ठीक है । श्रीमती अरूणा देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2901 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

श्रीमती अरूणा देवीः पूछती हूं ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- इस योजना का सर्वेक्षण कार्य करा लिया गया है । डी0पी0आर0 तैयार कराया जा रहा है । निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत इसका जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है ।

श्रीमती अरूणा देवीः अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी समय-सीमा तो नहीं बताये हैं, बता दें कि कब तक करायेंगे ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में यह कार्य करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्षः करवा देंगे । सुश्री श्रेयसी सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0- 2902 (सुश्री श्रेयसी सिंह, क्षेत्र सं0- 241, जमुई)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0- 2903 (श्री जितेन्द्र कुमार राय, क्षेत्र सं0- 117, मढ़ौरा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0- 2904 (श्री अनिरूद्ध कुमार, क्षेत्र सं0- 180, बख्तियारपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0- 2905 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र सं0- 79, गौड़ाबौराम)

श्रीमती स्वर्णा सिंहः अध्यक्ष महोदय, पूछती हूं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः महोदय, 1- स्वीकारात्मक ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि मानसून अवधि में प्रश्नगत प्रखण्ड के कृषि योग्य भूमि में जल जमाव रहता है । मानसून अवधि के बाद उक्त भूखंडों में

अधिकांश बरसात का पानी प्राकृतिक रूप से निर्मित नाला होते हुए कमला नदी में चला जाता है । वर्तमान में प्रश्नगत प्रखण्ड के अधिकांश भाग में रबी की फसल लगी हुई है । लगभग 250 एकड़ भू-भाग जो लो लैंड एरिया है वहां जल जमाव की स्थिति है ।

3- बाढ़ अवधि के दौरान बागमती नदी का पानी सिरनिया-फुईया तटबंध के अवस्थित 4 किलो मीटर तटबंध रहित भाग से प्रश्नगत प्रखण्डों में फैल जाता है जिसे बाढ़ प्रबंधन योजना फेज- 3 (बी) के प्रथम चरण के तहत उक्त तटबंध रहित भाग में तटबंध निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य को 18 माह में सितम्बर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 1637, दिनांक - 23.03.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रखण्ड से जल निकासी हेतु तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है । तकनीकी फिजिबलिटी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं कि वहां जल-जमाव के कारण लोगों के आवागमन और किसान आधे से ज्यादा महीना खेती नहीं कर पाते हैं, उनको बैठे रहना पड़ता है । उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं रहता है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जल्द से जल्द इस बाढ़ से पहले अगर कुछ निदान हो पाये तो किया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, दिखवा लीजिये ।

तारांकित प्रश्न सं0- 2906 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र सं0- 226, शेरघाटी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0- 2907 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0- 100, बरौली)

श्री रामप्रवेश राय: महोदय, पूछता हूं ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 15890, दिनांक 26.12.1990 के अंतर्गत यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानांतरण प्रस्थापना के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर यह बात उनकी चरित्र पुस्तिका में दर्ज करने का प्रावधान है ।

2- अस्वीकारात्मक है । पहला, मुख्य अभियंता- 3 ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 3915, दिनांक 29.06.2017 के द्वारा दिये गये स्थानांतरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज-2 के कार्यालय आदेश 2 दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री नीरज कुमार को कार्य प्रमंडल सिवान 2 में योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया परंतु फिर विभागीय पत्रांक 1241, दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री नीरज, निम्न वर्गीय लिपिक/कनीय लेखा लिपिक द्वारा दिये गये योगदान के आलोक में

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के योगदान की तिथि से स्वीकृति करते हुए इतने दिन लम्बित बकाया राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है किंतु वादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दायर की गयी थी । उक्त आदेश वित्त विभाग के पत्रांक 8325, दिनांक 19.11.2018 द्वारा दिये गये निर्देश के परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक 25 दिनांक 08.01.2019 द्वारा पूर्व में विभागीय पत्रांक 12402, दिनांक 02.11.2016 को वादिगण जिसमें श्री नीरज कुमार भी शामिल है के संदर्भ में निर्गत की तिथि निरस्त कर दी गयी । दूसरा, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के आदेश संख्या 226, दिनांक 18.06.2019 द्वारा श्री नीरज कुमार का स्थानांतरण कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 से कार्य प्रमंडल महाराजगंज में किया गया । उक्त किये गये स्थानांतरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 59, दिनांक 16.01.2020 द्वारा श्री नीरज कुमार को कार्य प्रमंडल, महाराजगंज में योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया है । विभागीय आदेशों के स्थानांतरण किये जाने के पश्चात श्री नीरज कनीय अभियंता लिपिक को न पदस्थापित कार्यालय में योगदान देने हेतु विलम्ब से विरमित करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल गोपालगंज 2 एवं श्री नीरज कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है ।

श्री रामप्रवेश राय: महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं ।

टर्न-6/हेमन्त-धिरेन्द्र/24.03.2021

तारांकित प्रश्न सं0-2908(श्री कुमार सर्वजीत, क्षेत्र सं0-229, बोध गया(अ0जा0))

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2909 (श्री जितेन्द्र कुमार, क्षेत्र सं0-171, अस्थावाँ)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ में उल्लिखित बसावट गढ़ीपर, यादव टोला में एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु सकरी पुल से अखुआ टोला तक पथ का विभागीय हेबिटेशन एप के द्वारा सर्वे करा लिया गया है । समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । प्रश्न में उल्लेखित दूसरी बसावट कटौना पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ कटौना से लौहरा आजपुर पथ जिसकी लम्बाई 4.542 किलोमीटर से सम्पर्कित है । यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । मरम्मति हेतु इसका प्राक्कलन बिहार ग्रामीण कार्य अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत तैयार किया जा रहा है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । कटौना और अखुआ टोला एक-दूसरे से सटा हुआ है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सर्वे करा लिया गया है, समीक्षोपरांत आगे की कार्रवाई की जायेगी, तो कब तक की जायेगी और कब तक पथ के निर्माण की स्वीकृति मिलेगी ?

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हेबिटेशन एप के द्वारा सर्वे अभी कराया गया है, तो उसकी तो पूरी बुक बन जायेगी, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, कब तक होगा, हम यही जानना चाहते हैं । उसकी समय-सीमा क्या निर्धारित है, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जल्द उसको करवा देंगे, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार होगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, प्रक्रिया तो रहती ही है हर एक कार्य में । महोदय, हर कार्य में प्रक्रिया है, महोदय, दिखवाने का मतलब क्या है ? हम केवल यह जानना चाहते हैं । इसकी समय-सीमा, यह पथ कब तक बन जायेगा, इसकी स्वीकृति कब मिलेगी, यह जानना चाहते हैं, महोदय ।

श्री जयंत राज, मंत्री : इसमें तीन पथ का उल्लेख है, एक तो कटौना से अखुआ, दोनों एक-दूसरे से सटा हुआ है इसमें से कौन सा पूछ रहे हैं, उसके बारे में बता दीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार : प्रश्न हमने किया है कि एस0 एच0 71 पर स्थित सकरी नदी पुल से गढ़ीपर, यादव टोला से अखुआ टोला, कटौना तक की सड़क कच्ची है, जिसके कारण छोटे-बड़े वाहन को आने-जाने में कठिनाई हो रही है । इसी पथ के बारे में मैंने पूछा है । स्पष्ट है महोदय और इन्होंने कहा है कि सर्वे करा लिया गया है, समीक्षोपरांत आगे की कार्रवाई की जायेगी, तो कब तक की जायेगी । यह जानना चाहते हैं, महोदय ।

श्री जयंत राज, मंत्री : इसका एप से सर्वे कराया गया है, उसकी एक बुक बनती है, बुक बनने के बाद तब उसका फेजवाइज बनेगा ।

अध्यक्ष : कब तक कराइयेगा ये बता दीजिये माननीय सदस्य को ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जल्द उसको प्रायोरिटी पर ले लेंगे । उसकी जब बुक बन जायेगी, उसको प्रायोरिटी पर लेकर करवा देंगे ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में ?

श्री जयंत राज, मंत्री : हां, अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री जितेन्द्र कुमार : वित्तीय वर्ष तो 12 महीने का होता है । महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक बसावट का मामला है । वहां अभी पथ नहीं है...

अध्यक्ष : देख लेते हैं गम्भीरता से ।

तारांकित प्रश्न सं0-2910 (श्री मुहम्मद इजहार असफी, क्षेत्र सं0-55, कोचाधामन)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2911 (श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि यह पथ राज्य उच्च पथ सं0-77 के सैफगंज से प्रारम्भ होकर महथावा बाजार, भरगामा बाजार होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ सं0-327 ई0 के सुकैला मोड़ पर मिलती है । सैफगंज से महथावा(लम्बाई 16 कि0मी0) एवं महथावा से भरगामा (8 कि0मी0) कुल 24 कि0मी0 के पथ सतह की चौड़ाई 3.75 मी0 है । वर्तमान में OPRMC Package-18B में दोनों पथ संधारित हैं ।

ट्रैफिक घनत्व का आकलन एवं संसाधन उपलब्धता के आधार पर चौड़ीकरण पर निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, उत्तर मुद्रित है, मैं पूरक पूछना चाहता हूं । क्या विभाग में संसाधन की इतनी कमी है और ट्रैफिक के घनत्व का आकलन कब तक होगा ? अगर संसाधन की कमी है, तो वह कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा, इसमें जवाब में है पहला कि ट्रैफिक के घनत्व का आकलन होता है । उस आकलन के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जायेगा, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ।

श्री जय प्रकाश यादव : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2912 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2913 (श्री मोहम्मद कामरान, क्षेत्र सं0-238, गोविन्दपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2914 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0-216, जहानाबाद)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2915 (श्रीमती अरूणा देवी, क्षेत्र सं0-239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सकरी सिंचाई योजनान्तर्गत नवादा जिला में सकरी नदी पर पौरा वीयर निर्मित है । वीयर से दायां एवं बायां मुख्य नहर निःसृत है ।

सकरी सिंचाई योजना का कमाण्ड क्षेत्र 28080 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसके विरुद्ध खरीफ वर्ष 2020 में 17676 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।

इस योजना से नि:सृत नहर प्रणालियों के जीर्णोद्धार कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन हेतु आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

वर्तमान में भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट को ध्यान में रखकर भू-गर्भ जल रिचार्ज हेतु उपर्युक्त योजना के नहर प्रणाली के पक्कीकरण कार्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछ लीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-2916 (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-179, बाढ़)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2917 (श्री रितलाल राय, क्षेत्र सं0-186, दानापुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2918 (श्री विजय कुमार मंडल, क्षेत्र सं0-51, सिकटी)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत सिकटी प्रखंड में दहगामा से पड़रिया तक नूना नदी के दायें तट पर पूर्व में मनरेगा द्वारा निर्मित बाँध है, जिसमें दहगामा के पास बाँध क्षतिग्रस्त है एवं नदी रास्ता बदलकर पुराने धार में बहते हुये पुनः पिपरा कोठी ग्राम के पास नदी के ऊपर निर्मित पुल के अपस्ट्रीम में पुनः अपने धार में मिलकर बह रही है । वस्तुस्थिति यह है कि नूना नदी का रास्ता बदलकर नयी धार के रूप में बहने से दहगामा, कचना, बच्चाखाड़ी आदि गाँव नदी से प्रभावित हुए हैं । नदी का जलस्राव दो भाग में बंटकर बहने के फलस्वरूप ग्राम पड़रिया, सिंधिया, औलाबाड़ी छपनिया एवं पिपरा बिजवार ग्राम सुरक्षित हो गया है ।

विभागीय पत्रांक 1578, दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा प्रश्नगत मनरेगा द्वारा निर्मित बाँध में क्षतिग्रस्त प्रभाग की मरम्मती हेतु सर्वेक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को निदेशित किया गया है।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूरक नहीं पूछना है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2919 (डॉक्टर संजीव कुमार, क्षेत्र सं0-121, परबत्ता)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग । नहीं हैं, आ रहे हैं ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । एक मिनट ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिला में ग्रामीण आवास कर्मियों के नियोजन हेतु दिनांक 01.02.2014 को प्रमाण पत्र सत्यापन किया गया था । श्री सुधांशु कुमार, पिता-श्री विधानचन्द्र राय, साकिन यदुबंश नगर, थाना-परवत्ता(भरतखंड), थाना कांड संख्या-15/14 दिनांक 31.01.2014 में भारतीय दंड विधान की धारा-341, 323, 325, 504, 506, 307/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम आरोप संख्या-34/14 दिनांक 31.01.2014 में आरोपित है । वे दिनांक-07.02.2014 से 06.03.2014 की अवधि में मंडल कारा, खगड़िया में बंद थे ।

3- संबंधित मामले में विस्तृत जाँच कर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश जिला पदाधिकारी, खगड़िया को दे दिया गया है ।

4- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरक है । जब यह स्वीकारात्मक है, तो इसे हिन्दी सिनेमा का डबल रोल वाला खेल किया गया है । अपराधी जेल में है और उनके जगह पर दूसरे को नौकरी दे दी गयी और उनके भाई जाकर एपीयर हैं, तो उन्हें इमीडीयेटली बर्खास्त किया जाय और धोखा-धड़ी का केस किया जाय और उनके जगह पर जिनका होना था, उनकी बहाली होनी चाहिए । महोदय, यह बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2920 (श्री मिश्री लाल यादव, क्षेत्र सं0-81, अलीनगर)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.361 किलोमीटर है, इस पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत किया गया है। जिसकी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि समाप्त हो गयी है । पथ की मरम्मती हेतु नई अनुरक्षण नीति के अंतर्गत प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । स्वीकृति के उपरांत मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस सड़क को बनाने के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया में है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में यह पूरा हो जायेगा ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में, तब तो वहां लोगों को चलना मुश्किल है माननीय मंत्री जी । महोदय, राशि की, फण्ड की व्यवस्था की जाय, कारण कि वह जो सड़क है, भेद-भाव पूर्ण नीति के कारण वह सड़क आज तक नहीं बनी है, महोदय ।

...क्रमशः...

टर्न-07/संगीता-सुरज/24.03.2021

...क्रमशः...

श्री मिश्री लाल यादव : इसलिए सरकार भी कहती है अगले वित्तीय वर्ष में, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष में उसको बनाना चाहती है सरकार ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, यह वित्तीय वर्ष तो 2-3 दिन में समाप्त हो जायेगा । अगले वित्तीय वर्ष में हमने कहा है...

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में कब तक ? मैंने बताया...

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में मंत्री जी ने कह दिया । अब बैठ जाइये ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष जी, वे सड़कें 30 वर्ष की शिकार हैं और मंत्री जी कहते हैं अगले वित्तीय वर्ष तो एक सीमा निर्धारित कर दिया जाय कि कब तक बन जायेगा, जर्जर सड़क है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से मिल लेंगे, मंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 24 मार्च, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं श्री अवध विहारी चौधरी, श्री अजीत शर्मा, श्री अजय कुमार, श्री ललित कुमार यादव, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महबूब आलम, श्री राकेश कुमार रौशन, श्री चन्द्रहास चौपाल, श्री अली अशरफ सिद्दिकी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री रणविजय साहू, श्री सुदामा प्रसाद, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्रीमती मंजु अग्रवाल, श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं श्री राम रतन सिंह ।

आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती प्रखण्ड मुख्यालय में सरकार से 5000 (पांच हजार) मीट्रिक टन...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री ललन कुमार : क्षमता वाला पैक्स सी0एम0आर0 गोदाम बनवाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । सभी शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है एवं इसे शून्यकाल समिति में भेज दिया जायेगा।

(पढ़ी हुई मानी गयी शून्यकाल सूचनाएं)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया अशोक स्तंभ के पास बंद पड़े पुल का निर्माण कार्य सरकार शीघ्र करावे ।

श्री मुकेश कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शिक्षित बेरोजगार नौजवानों की संख्या काफी हो गयी है, रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग समाज की मुख्यधारा से अलग हो रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 5000/- पाँच हजार रुपये बेराजगारी भत्ता देने की माँग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में शेखपुरा जानेवाली मेन रोड से राम टोला गजवी होते हुए मेहता टोला मेन रोड तक की सड़क के पक्कीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधान सभा के अन्तर्गत अशोक पेपर मिल रामेश्वर नगर को एन0सी0एफ0एल0 कंपनी द्वारा 18.08.1997 ई॰ को 471 कर्मियों के साथ अधिग्रहण पश्चात अबतक इन कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि भुगतान के साथ-साथ बंद पड़े मिल को अविलंब चालू करवाया जाय ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के बेलखारा में जीर्णशीर्ण उप-स्वास्थ्य केन्द्र को जीर्णोद्धार कर ईलाज शुरू करने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिला बीस सूत्री कमिटी के नहीं रहने से राज्यस्तरीय योजनाओं का निगरानी व अनुश्रवण ठीक से नहीं हो पा रहा है तथा पदाधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है । बीस सूत्री कमिटी गठन की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजकीय पथों पर ब्रेकरों के ऊपर उजला पेन्टिंग कराया जाय ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी थाना कांड संख्या-81/21 व्यवसायी शशि शर्मा को अपराधियों ने दिनांक 20.03.2021 को घर में घुसकर एवं पीट-पीटकर हत्या करने के बाद छत से सड़क पर फेंक दिया ।

सभी नामदर्ज अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मिश्रपुर के जर्जर भवन की मरम्मति कराई जाय ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना का पत्रांक-1001 दिनांक-05.03.2021 के द्वारा घनश्यामपुर नगर पंचायत का गठन किया है । घनश्यामपुर नगर पंचायत में घनश्यामपुर पंचायत एवं राजस्व गाँव को शमिल नहीं किया है । घनश्यामपुर छोट बुढ़ैव एवं फकीरना को शामिल करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बिहार के कार्यपालक सहायक कर्मचारियों को बेल्ट्रॉन से बेचनेवाली, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की दिनांक-05.02.2021 की 29वीं बैठक की कार्यावली की कंडिका 06, 07, 08 एवं 09 में लिए गए निर्णय को निरस्त करने की सदन से मांग करता हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में कोविड-19 के प्रभाव तक जिला पदाधिकारी एवं जिला सिविल सर्जन को स्वविवेक से सुविधानुसार जनहित में नर्स एवं सरकारी कर्मी के प्रतिनियोजन (डेपुटेशन) का अधिकार सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाएं।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला में समाहरणालय के अतिरिक्त 15 जिलास्तरीय कार्यालय समाहरणालय भवन से दूर अलग-अलग स्थापित हैं जिसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है ।

अतः सभी 15 जिलास्तरीय कार्यालयों के लिये एक समेकित भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत केसरिया स्थित पीताम्बर चौक, जो स्टेट हाईवे-74 तथा पथ निर्माण विभाग की सड़क है पर चौबीसों घंटे लगनेवाले जाम से मुक्ति दिलाने हेतु फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बक्सर चौसा रोड के आई०टी०आई० मोड़ से बुनियाद केन्द्र होते हुए स्टेशन-रामरेखा घाट रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव RCD से स्वीकृत है, कब तक इस पथ का निर्माण कराया जायेगा ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अन्तर्गत नवादा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निर्देशक-सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं लेखापाल (विकास प्रबंध) के मिली भगत से विगत कई वर्षों से धान/गेहूँ अधिप्राप्ति एवं अन्य कार्यों में घोर अनियमितता बरता गया है । इतना ही नहीं, विशेष सूत्रों से पता चला है कि उक्त पदाधिकारी के द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किया गया है, जो जाँच का विषय है ।

अतः निवेदन है कि उक्त विभाग के पदाधिकारी के क्रियाकलापों एवं अर्जित आय से अधिक सम्पत्ति की जाँच निगरानी विभाग से कारवाई जाये ।

श्रीमती भगीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड़ गौनाहा के ग्राम शेखा (भुस्की) चौक दोन कैनाल पर पुलिया का किनारा लगभग पांच वर्षों से ध्वस्त है । मैं सरकार से पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर तथा अन्य जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए बने कोरेनटाइन सेन्टर में मिड-डे मिल वर्कस से लिये गये कार्यों के न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल में स्टेडियम निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखण्ड अन्तर्गत दो प्रखण्डों को जोड़नेवाली पथ में घोड़ाघाट पुल एवं गायघाट से छपवा सुगौली पथ में पानापुर बाजार के निकट धनौती नदी पर पुल निर्माण अतिमहत्वपूर्ण है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों पुल का निर्माण जनहित में कराया जाए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल ढाका अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी आदि योजनाओं का निविदा में सफल तथा एकरारनामा

अनुसार कार्य अवधि समाप्ति के बाद भी तीन दर्जन से अधिक संवेदकों द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

मैं राज्य सरकार से विभागीय स्तर पर पूर्व से प्राप्त सूची तथा वर्तमान में वैसे संवेदकों की सूची प्राप्त कर डिबार्ड करने पुर्न निविदा कर लंबित सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ फुलबरिया बाजार, मन्दिर का अस्तित्व खतरे में है । समय रहते कटाव रोधक कार्य नहीं किया गया तो मन्दिर तथा सौ साल पुराना बजार का अस्तित्व मिट जाएगा ।

अत: मैं संबंधित विभाग से यथोचित कारगर कदम उठाने की मांग करता हूं।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल में आए दिन लोगों की जरूरत को देखते हुए शव वाहन दिए जाने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, नगरपंचायत जयनगर में शहर के गंदे पानी से कमला नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक सहायक, कृषि सलाहकार, सांख्यिकी स्वयंसेवकों, विकास मित्र समेत सभी अनुबन्धित कर्मियों को नियमित कर वेतनमान देने की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा शहर में 121 बंद खाता को सरकार चालू करावें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिहपुर विधान सभा के नारायणपुर प्रखण्ड में तीस शैय्या वाला सामुदायिक अस्पताल बनवाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय मऊ, गया के दर्जनों शिक्षक कर्मचारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और अवैध माफिया प्रबंधक के घोटालेबाजी में सांठगांठ, षडयंत्र से आत्मदाह को मजबूर हो गये हैं ।

अत: सरकार से जांच कराकर, भ्रष्टाचार पर रोक लगा कर शिक्षकों कर्मचारियों के सम्मानित जीवन की मांग करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 8 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाले सभी शहरी क्षेत्र के विद्यालय के नियमित प्राथमिक शिक्षकों को 8 प्रतिशत आवास भत्ता प्रावधान के तहत मुंगेर मुख्यालय के 8 किलोमीटर परिधि अन्तर्गत विद्यालय के शिक्षकों को भी 8 प्रतिशत आवास भत्ता देने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में चिकित्सकों की फीस की दर निर्धारित नहीं है जिसके कारण 400/- से लेकर 2000/- तक हर 15 दिन में फीस ली जाती है जबकि इस राज्य की प्रतिव्यक्ति आय देश में सबसे कम है ।

अत: चिकित्सकों की फीस अधिकतम 500 रुपये निर्धारित किये जाने की मांग करती हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखण्ड में R.W.D (ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा विशेषकर चमारटोली से धोबियाही के बीच घटिया निर्मित सड़कों का उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी प्रखण्ड के बरही पंचायत नारियल टोल के लोगों ने विद्यालय भवन नहीं होने से वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है । विद्यालय असुरक्षित तरीके से चलाया जा रहा है । सरकार से जल्द विद्यालय भवन निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत लगभग 29 वर्ष पूर्व संग्रामपुर प्रखण्ड की स्थापना हुई थी परन्तु अभी तक एक छोटा-सा सामुदायिक भवन में चल रहा है । अत: जनहित में यथाशीघ्र नया भवन बनवाने का मैं सदन से मांग करता हूं ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री दामोदर रावत, जनक सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य दामोदर रावत जी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य दामोदर रावत जी नहीं हैं ।

अध्यक्ष : नहीं हैं ? छोड़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जवाब भिजवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अवध विहारी चौधरी, ललित कुमार यादव एवं आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अवध विहारी चौधरी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य दामोदर रावत जी आ गये हैं..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब भिजवा दीजियेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जी, हम जवाब भिजवा देंगे ।

सर्वश्री नरेन्द्र नारायण यादव एवं निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''खगड़िया जिलान्तर्गत बी0पी0 मंडल सेतु के निकट से कोसी नदी के उत्तरी किनारे से मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल के अधीन ग्राम-कपसिया, ग्राम-मुरौत...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, पढ़ा हुआ ही मान लिया जाय जवाब ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अंचल चौसा के ग्राम-फुलौत होकर नौगछिया अनुमंडल...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य की सहमति हो तो जवाब भेज दिया जायेगा ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जी महोदय, जवाब भेज देंगे ।

अध्यक्ष : आप अपनी सूचना पढ़ लीजिए ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : जिला भागलपुर के उत्तरी किनारे होकर कटिहार जिला के कुरसेला के निकट N.H.-31 के किनारे तक मुख्य कोसी के उत्तरी किनारे कोसी तटबंध का निर्माण अत्यावश्यक है । ऐसा होने पर हर वर्ष जिला खगड़िया, जिला मधेपुरा, जिला पूर्णियाँ, जिला भागलपुर, जिला कटिहार के किसानों की लाखों हेक्टेयर में लगी धान एवं मकई की फसल बाढ़ में डूबने से बचेगी तथा हजारों किलोमीटर की बनी सड़कें भी सुरक्षित रहेगी एवं जान माल की भी क्षति नहीं होगी ।

अतः मुख्य कोसी नदी के उत्तरी किनारे डुमरी घाट बी0पी0 मंडल सेतु के निकट से कुरसेला तक N.H.-31 तक कोसी तटबंध निर्माण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत बी0पी0 मंडल सेतु के निकट से कोसी नदी के उत्तरी किनारे से मधेपुरा जिला के आलमनगर अंचल के अधीन ग्राम-कपसिया, ग्राम-मुरौत, अंचल चौसा के ग्राम-फुलौत होकर नौगछिया अनुमंडल जिला भागलपुर के उत्तरी किनारे होकर कटिहार जिला के कुरसेला तक नदी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुरसेला सेतु के निम्न भाग में गंगा नदी में मिलती है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थलों पर जल संसाधन विभाग का कोई भी तटबंध निर्मित नहीं है । उक्त प्रभाग में कोसी नदी प्राकृतिक रूप से मिनडरिंग करते हुए प्रवाहित हो रही है । प्रश्नगत बांध जो कोसी नदी के बाएं किनारे से संबंधित है के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने निमित्त मुख्य अभियंता,

समस्तीपुर, वीरपुर और कटिहार को विभागीय पत्रांक-1638 दिनांक 24.03.2021 से निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अवध विहारी चौधरी, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी अपनी सूचना को पढ़ें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-10 के तहत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है । उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4 प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री महेश्वर हजारी तथा 6 प्रस्ताव श्री भूदेव चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं । जो प्रस्ताव हैं, उन्हें मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं :-

पहला प्रस्ताव श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री विजय कुमार चौधरी, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

दूसरा प्रस्ताव श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्रीमती रेणु देवी, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

तीसरा प्रस्ताव श्री जीतन राम मांझी, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

चौथा प्रस्ताव श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री मिश्री लाल यादव, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

पांचवा प्रस्ताव श्री महबूब आलम, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

छठा प्रस्ताव श्री रणविजय साहू, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

सातवां प्रस्ताव श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री अजय कुमार, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

आठवां प्रस्ताव श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

नौवां प्रस्ताव श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

दसवां प्रस्ताव श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0 का है और उसके अनुमोदनकर्ता हैं श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0 । इसमें प्रस्ताव है कि श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0 विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

चूंकि श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी का प्रस्ताव प्रथम है इसलिए मैं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार चौधरी, स0वि0स0 ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से ...

टर्न-8/मुकुल-राहुल/24.03.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप अपना नियमन दें, आपने अभी इस पर ध्वनिमत करवाया है, लेकिन आप सदन की स्थिति देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे सदस्य नहीं हैं, हमारे विपक्षी दल के सदस्यगण नहीं हैं । ऐसी स्थिति में बिहार की जनता में कोई गलत संदेश न जाए या कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे कि हम लोगों ने किसी की गैर-हाजिरी में कोई काम जैसे-तैसे जबरदस्ती करा लिया है इसलिए महोदय, हमारा आपसे आग्रह होगा कि इस पर बाजाब्ता आप खड़े होकर गिनती के साथ मतदान की प्रक्रिया अपनाएं, इससे बिहार की जनता को पूरे-पूरे साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि श्री महेश्वर हजारी जी के पक्ष में कितने सदस्य हैं। वरना, ध्वनिमत को कल कोई चुनौती देंगे, हम नहीं थे, किस हालात से हो गया, ऐसे चुनाव का क्या औचित्य है । स्थिति साफ रहे, इसलिए इस पर सभी खड़े होकर या विभक्त होकर मतदान कराते हैं, उसमें आप अपना निर्णय लेकर उस हिसाब से मतदान कराएं ।

अध्यक्ष: अब खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

(घंटी)

माननीय सदस्यगण, मैं पुन: प्रस्ताव रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''श्री महेश्वर हजारी, स0वि0स0 बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जायं ।''

खड़े होकर मतदान का फलाफल निम्न प्रकार है:

''हां'' के पक्ष में 124 एवं ''न'' के पक्ष में 0 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहां खड़े होकर गिनती कराकर जो चुनाव परिणाम या मतों का परिणाम घोषित किया है । 124 मत श्री महेश्वर हजारी जी के पक्ष में हैं यह अपने आप में बहुत दूरगामी संदेश देने वाला है कि कोई अगर नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अल्पमत से ही अपने उपाध्यक्ष को चुन रहे हैं, पूरे सदन की संख्या, जो फुल स्ट्रेंथ है वह 243 है । हम लोग उसके भी बहुमत से अधिक से श्री महेश्वर हजारी जी को चुन रहे हैं । यह संदेश, यह पैगाम

बिहार की जनता तक अवश्य पहुंचना चाहिए था । महोदय, इसीलिए हमने सरकार की तरफ से आग्रह किया था कि इसमें गिनती के साथ मतदान कराया जाय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह बड़े हर्ष की बात है कि माननीय सदस्य, श्री महेश्वर हजारी बिहार विधान सभा के 18 वें उपाध्यक्ष चुने गए हैं । समस्तीपुर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले श्री महेश्वर हजारी जी को राजनीति की ललक विरासत में ही मिली है । इन्होंने वर्ष 2005 से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया । ये चौथी दफा बिहार विधान सभा के लिये सदस्य चुने गये हैं । इसके पहले मार्च, 2005, नवंबर, 2005, नवंबर, 2015 एवं इस सप्तदश बिहार विधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए हैं । ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं । वे बिहार सरकार में भवन निर्माण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भी रहे हैं ।

सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव से लाभ मिलेगा और वे निष्पक्षतापूर्वक अपने इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सफल होंगे । पुन: मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री महेश्वर हजारी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं । माननीय सदन नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी।

टर्न–9/यानपति–अंजली/24.03.2021

अध्यक्ष: माननीय सदन नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर श्री महेश्वर हजारी जी निर्वाचित हुये हैं इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं । महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है । जनता की सेवा में ये एक जन प्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधान सभा, लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधान सभा के सदस्य हैं । कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात, सब लोगों को मालूम है और आज जो विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई है, यह बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है, कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़े होकर के लोगों ने कहा है, मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही हम बिहार विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, हम बैठकर के ही रहते हैं और बाकी सब जो बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, खड़े होकर उन्होंने जो सहमति दी है अपनी, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और 124 लोगों ने और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष भी यहीं के हैं, वे तो अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं इसलिए उनको खड़ा होने की जरूरत नहीं है और कुछ लोग जो हैं, एन0डी0ए0 के

गठबंधन के जितने माननीय सदस्य हैं कुछ कारणों से तीन लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सब को पता है । बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को सूचित कर के ये लोग बाहर जाते हैं, तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुये हैं, जो एन0डी0ए0 के समर्थन में हैं लेकिन यह घोर आश्चर्य का विषय है कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था, तो उपस्थित रहना चाहिए था लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे हुये हैं । अब आप देख लीजिए, जो आपका था हमलोगों की तरफ से यहां पर चार लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं कि छह लोगों ने दिया है लेकिन सब के सब, कोई यहां उपस्थित नहीं हैं, तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है और यह सब को मालूम है । इसलिए आज जिन लोगों को, जिस पक्ष में इनको मत देना था वह सिर्फ हां कहने से नहीं बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है यह अच्छी बात है, यह साफ बात हो गई और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थीं, वह ठीक नहीं और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है, सरकार उनकी बनती है और वह सरकार बनी हुई है, यह तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर और आप बता दीजिए कि इतने दिनों से कल के पहले सब लोग रहते थे, तो सारी बात सबसे ज्यादा कौन बोलते थे और किस-किस तरह की बात बोलते थे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई और कल तो जितनी देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंततोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था विचार हुआ, पारित हुआ । अब उसके बाद आज का दिन था और आज का दिन आप सोच लीजिए यह तो तय हुआ कि भाई बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाय, इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों, यह सब जिनको करना था कर दिया, पर आज ही उनका निर्वाचन होना था आज भी हो गया और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है, आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है ? जो उनके प्रस्ताव हैं उन्हीं पर तो बात हो रही है लेकिन अब पता नहीं क्या है, कैसी मानसिकता है ये लोग जानें लेकिन जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और जिसके लिए विधान सभा हो, लोक सभा हो, विधान परिषद् हो, राज्यसभा हो और इसके लिए जो नियम बने हुये हैं उसके मुताबिक और सबलोगों की

भागीदारी ठीक ढंग से होनी चाहिये, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या होता है कि पूरे सेशन में तो चलता रहा लेकिन अंततोगत्वा फिर क्या मन में आया है, क्या बात के लिये तो हमलोगों को क्या मतलब है उससे लेकिन एक-एक चीज के बारे में हमलोग स्पष्टता के साथ और सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे कोई भी माननीय मंत्रीगण नहीं हैं जो पूरी बात को रखते नहीं हैं और सबको अधिकार है और प्रश्नकाल के लिये तो सबको अधिकार है । हम तो अपने गठबंधन की मीटिंग में भी हमेशा कहते हैं कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है, यह उनका अधिकार है प्रश्न करें, उनको पूछने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, इसका कोई रिश्ता सरकार से नहीं है और कोई सरकारी संगठन में हैं उससे नहीं है तो सबलोग पूछते हैं, एक-एक बात पूछते हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको यह अधिकार है और आप बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी जिस तरह से कुछ लोगों के मन क्या बात आती है, कौन ऐसे लोगों के एडवाइजर हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होनेवाला है, इससे लोग अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं जो उनको अधिकार मिला हुआ है अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं और कोई भी चीज है कानून बनता है तो कानून पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सदन को अधिकार है कि उसके बारे में कोई निर्णय ले । तो सब तरह से पूरी कार्यवाही की गयी, बजट भी पारित हुआ है, हर तरह की कार्यवाही और पूरा जैसे पहले से हमलोग करते रहे हैं बजट सत्र का, उसी तरह से लंबी अवधि में कार्यकाल में आपने सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लिया और यह 19 तारीख से चलकर के पिछले महीने की 19 तारीख से चलकर के आज 24 तारीख है दूसरे महीने का, यहां तक फरवरी से लेकर के मार्च तक में यह चला है और आज अंतिम दिन है, तो आज आपके द्वारा जो आज का दिन निर्धारित किया गया विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये वह हो गया और मैं उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो गये हमारे माननीय महेश्वर हजारी जी उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और हम सब लोगों को पूरा भरोसा है कि जब भी उनको यहां के स्तर पर जो भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए जब भी अध्यक्ष महोदय, आपको इस आसन पर काम करने का जब मौका मिलेगा तो उस समय जरूर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे हर चीज का और एक पुराना अनुभव है हर चीज को जानते हैं, एक एम0एल0ए0 के रूप में, एक मिनिस्टर के रूप में काम किया है इसलिये किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी और सबलोगों ने अपनी इच्छा आपके पक्ष में प्रकट की है, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं इसलिये मैं सब लोगों को धन्यवाद देते हुए और पुनः भाई महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं उनका अभिनन्दन करता हूं और एक महत्वपूर्ण पद का

वह संचालन करेंगे इसके लिये मैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

टर्न–10/राजेश/24.3.21/

अध्यक्षः माननीय उप मुख्मयंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री,: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में उपाध्यक्ष के पद के लिए, निर्वाचन के लिए, आपने जो एक स्वस्थ परम्परा कायम किया और पारदर्शितापूर्ण से जिस प्रकार से निर्वाचन हुआ और श्री महेश्वर हजारी जी माननीय उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए, इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ एवं श्री महेश्वर हजारी जी को बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ इस सदन के तमाम सदस्यों को । माननीय महेश्वर जी ऐसे तो संसदीय कार्य में जिनकी लगातार रुचि रही है और चौथी बार बिहार विधान सभा के सदस्य के रुप में निर्वाचित हुए हैं और पार्लियामेंट में भी एक बार इन्होंने संसदीय दायित्व का पूर्णतः निर्वहन् किया है, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिस बेहतर तरीके से बिहार विधान सभा का संचालन किया जा रहा है और जो संसदीय मर्यादा एवं इसकी जो पवित्रता है, उसको आपने कायम की है, उस धारा को एक बेहतर वाहक के रुप में दिखेंगे और सदन के तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने सर्वसम्मति से सदन में योगदान दिया, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और श्री महेश्वर हजारी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और बिहार विधानमंडल पूरे बिहार के जनमानस के दृष्टि को परिलक्षित करता है और वर्षों से लोकतंत्र की जो स्वस्थ परम्मरा रही है और जिसके कारण बिहार विधानमंडल की पूरे भारतवर्ष में जो ख्याति रही है उसके परम्पराओं का निश्चित तौर आपके आदेश का पालन होगा और संसदीय परम्परा मजबूत होगी । महोदय, अगर आज हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी रहते तो और बेहतर ढंग से इस चयन प्रक्रिया को किया जा सकता था लेकिन उनकी अनुपस्थिति इस बात का द्योतक है कि जो सदन की एक परम्परा रही है कि प्रतिपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है लेकिन आज उस मर्यादा का उनलोगों ने पालन नहीं किया, इसका हमें दुख है, अगर रहते तो बेहतर ढंग से आज सदन में जो कार्यवाही चल रही है जिसे पूरा बिहार और बिहार की जनता, जिसके निमित्त आज हम सब हैं और उनके प्रति हमारी जो अपनी प्रतिबद्धता है, वह परिलक्षित होती, पुनः श्री महेश्वर हजारी जी को हृदय से बधाई और आसन को बहुत–बहुत आभार जिन्होंने एक स्वस्थ परंपरा कायम करके आज सदन में उपाध्यक्ष के चयन प्रक्रिया को एक गरिमापूर्ण बनाया । बहुत–बहुत आभार, धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री, श्रीमती रेणु देवी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, आज उपाध्यक्ष के इस चुनाव में आपने जो पारदर्शिता का उल्लेख किया है, मैं सहृदय सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूं । क्योंकि आपने पहले ध्वनी मत से और उसके बाद आपने सबका मत जानने के लिए आपने गिनती के माध्यम से जो आज निर्वाचन कराया है, शायद पूरे बिहार, पूरे भारत देख रही होगी कि कितनी पारदर्शिता की तरह हम सभी लोगों का, यहां आपके सहयोग से, हम सभी लोगों ने, जो अपना मत दिया है माननीय महेश्वर हजारी जी के पक्ष में, माननीय महेश्वर हजारी जी को सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देती हूं और मैं कहना चाहती हूं, जिस तरह से आपने एक महीने के भीतर 19 फरवरी से लेकर आज 24 मार्च तक जिस संविधान के तहत इतने बढ़िया ढंग से जो आपने सदन को चलाया है और इस सदन में कामकाजी काम जितने हुये हैं बजट के, मैं उसके लिए भी आपको सहृदय धन्यवाद देती हूं और साथ में कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से माननीय महेश्वर हजारी जी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छे ढंग से इस सदन को चलायेंगे । आपके साथ-साथ और सभी माननीय सदस्यों को भी मैं सहृदय धन्यवाद देती हूं कि माननीय हजारी जी के पक्ष में, हम सभी लोगों ने जो वोट दिया है, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । जय हिंद ।

अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री जीतन राम मांझी ।

श्री जीतन राम मांझी: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले नेता सदन माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो भावना व्यक्त की है, हम उस भावना के साथ हैं और उन्हीं से सुर से सुर मिलाकर हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि जिस रूप में सदन चलाने का काम आपने किया और खास कर के आज उपाध्यक्ष का जो चयन हुआ है, निर्वाचन हुआ है, उसमें जो पारदर्शिता आपने दिखलाई है, हम समझते हैं वह काबिले तारीफ है, बिहार में एक मैसेज जाएगा और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है । हां, यह जरूर लगता है, यदि विरोधी दल के भी लोग रहते तो अच्छा होता, लेकिन वह तो उनके ऊपर है, अभी क्या वे करना चाहते हैं समझ में नहीं आता और इस अवसर पर जब महेश्वर हजारी जी उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिये गये हैं, मैं उनको शत-शत बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि एक सफलतम उपाध्यक्ष के रूप में काम करें

और उनके लिए ऐसा लगता भी है कि कहीं हमलोगों ने पढ़ा था और सुना था कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है इस रूप में, इस ऊंचे पद पर आपके सहयोगी के रूप में बैठेंगे, तो निश्चित रूप में सबको एक तरह से देखकर के आगे चलेंगे और ऐसा विश्वास है हमको और चूंकि एन0डी0ए0 का एक गठबंधन है, जहां सब प्रकार के लोगों का सामंजस्य है, सहयोग है और बहुत दिन से इधर देख रहे थे चूंकि हम 1980 से विधायक हैं, 1990 से 1995 छोड़कर के, तो वैसी परिस्थिति में उपाध्यक्ष का रोल होता है, बहुत प्रमुख रोल होता है और इधर कुछ वर्षों से देख रहे थे कि उपाध्यक्ष का पद खाली रह रहा था । वैसे परिप्रेक्ष्य में आपने जो काम किया हमारे उपाध्यक्ष के पद का चुनाव कराने में किया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके परामर्श से आपने एक ऐसे पद को जिसकी रिक्तता हमलोग महसूस करते थे, आप आज उस पद को भरने के लिए अपना योगदान दिया, काम दिया और हम यहां तक कह सकते हैं कि महेश्वर बाबू तो एक संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं ही, अनुभव है, सारी बात है लेकिन हम अपने मन को, अपने लोग को, यह कहने में हम नहीं चूकेंगे कि हम जिस समाज से आते हैं, वैसे समाज के लोगों को बहुत कम मिलता है ऐसे-ऐसे स्थान पर और नीतीश कुमार जी ने वैसे लोगों को भी देने का काम किया है, जो आज सिद्ध करता है कि नीतीश कुमार जी उस रूप में चल रहे हैं कि:

'मुखिआ मुखु सो चाहिए, खान पान कहूं एक,
पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।'

इसी विवेक से इन्होंने काम किया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं, आगे आने वाले दिनों में हमारा जो जनतांत्रिक पद्धति है और उज्ज्वलतम होगा और बिहार का नाम संसार में फैलेगा, यही कहकर के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या, श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

टर्न-11/सत्येन्द्र/ 24-03-2021

श्रीमती स्वर्णा सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूॅ जिस तरह आपने एक महीना सदन चलाया, वह बखूबी था और दूसरी बात यह है कि जितने माननीय सदस्य हैं, सबको धन्यवाद देती हूॅ कि उन्होंने अपना वोट दिया माननीय महेश्वर हजारी जी को और उनको भी मैं धन्यवाद देती हूॅ माननीय महेश्वर हजारी जी को और मुझे उम्मीद है कि वे बखूबी अपना उपाध्यक्ष का पद निभायेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री राम रतन सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री राजकुमार सिंह ।

श्री राजकुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं श्री महेश्वर हजारी जी को उनके उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे सत्र का आप एक लोकतांत्रित तरीके से सभी सदस्यों के अधिकारों की चिन्ता रखते हुए आपने इस सत्र का संचालन किया इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ । बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये चयन हुआ और ये जरूरी भी था और अच्छा तो तब होता जब पूरा सदन, सभी सदस्य इसमें उपस्थित होते लेकिन मुझे एक आश्चर्य और हुआ कि किसी भी मैच में अगर हम अपना नाम दे देते हैं और पहलवान जब एक अखाड़े में उतर जाता है तो दूसरे पहलवान का उस अखाड़े से भाग जाना, ये क्या संदेश देगा बिहार की जनता को, यह भी सोचने की बात है तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने इस चयन की प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, एक बहुमत के साथ इस माननीय उपाध्यक्ष महोदय का चयन हुआ है, इसका जो पालन हुआ इसके लिए एक बिहार की जनता को भी संदेश जायेगा कि हां, ये जो सरकार है एक ऐसे प्रगतिशील नेता के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है जिसमें पारदर्शिता भी है, जिसमें बिहार को आगे ले जाने की एक सोच भी है और जिसको संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की हरेक सदस्य की जिसमें एक चिन्ता भी है, इसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सरकार के मुखिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, श्री सुमित कुमार सिंह जी ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ । आज जिस तरीके से एक महीने से आपने सदन चलाया है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है और महोदय, मैं इसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ और सभी सदस्यों को भी जिन्होंने आज इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया और अपना बहुमूल्य मतदान महेश्वर हजारी जी के प्रति दिया है उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सूबे के नेता, हमलोगों के सदन के नेता जो काफी पारदर्शिता रखे हुए हैं और आपने भी आज के चुनावी प्रक्रिया में जिस तरीके से पारदर्शिता रखा है इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ और महेश्वर हजारी जी को एक बार पुन: बधाई देता हूँ । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, श्री मुकेश सहनी जी ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और आज खासकर के हमारे उपाध्यक्ष के लिए माननीय महेश्वर हजारी जी को हम तहेदिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज चुनाव जीता और चुनाव जीतने के लिए उनको बधाई देता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय उपाध्यक्ष, श्री महेश्वर हजारी जी ।

श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र के इस मंदिर में आज जिस तरह से उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आपने जो प्रक्रिया की, वह बहुत ही सराहनीय है । मैं अपने सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके कार्यकाल में मुझे बहुत सारी चीज को सीखने का मौका मिला और इनके आशीर्वाद से सांसद भी बनने का मौका मिला, विधायक भी बनने का मौका मिला और मंत्री भी बनने का मौका मिला और जिस तरह से इनके कार्य करने की शैली है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और जनता के बीच में हमेशा जो कार्य करता है उसका जनता के बीच में हमेशा सम्मान बढ़ते रहता है । मैं चार बार विधान-सभा का चुनाव लड़ा, चारों बार विधान-सभा चुनाव जीतने का काम किया अपने नेता के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, एक बार सांसद भी बनने का मौका मिला और संसदीय प्रणाली में जो देखें, हमलोग जिस तरह से पाठशाला में बच्चा में पढ़ाई करते थे उसी प्रकार टाईम पर जाना और जबतक सदन समाप्त नहीं हो, तबतक सदन की कार्यवाही देखना, तो इंसान जब तक जिंदा है तबतक सीखते ही रहता है, कोई पूर्ण विद्वान नहीं होता इसीलिए जिस तरह से अभी सदन चल रहा है और जिस तरह से आपने सदन चलाया है, मैं इतने दिनों से सदन के सदस्य हूँ ओर जिस तरह से आपने पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चला और जिसके कारण प्रश्न काल चला और सदन चला तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने और जिस तरह से सब लोगों ने आशीर्वाद देकर के उपाध्यक्ष बनाने का काम किये हैं, मैं सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों को, सम्मान रूप से जो निमयावली है उसके अनुरूप सदन चलाने का जब मौका मिलेगा तो करने का काम करूंगा, मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ और साथ ही आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जिस परिस्थिति में थे, विपक्ष के नेता को भी रहना चाहिए था और चूंकि उधर से भी नोमिनेशन हुआ था तो एक जनता में अच्छा मैसेज जाता लेकिन जो प्रक्रिया जिस तरह से वोटिंग होती है, उस तरह से वोटिंग हुई और यह पारदर्शिता बरती गयी तो इसका भी मैसेज जनता के बीच जायेगा कि सत्ता का दुरूपयोग नहीं किया गया इसलिए मैं सदन के सभी माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके

विश्वास पर जब उस कुर्सी पर जायेंगे तो मैं आपको विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं सदन के जो हमारे डिप्टी साहब है, दोनों डिप्टी सी0एम0 साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री मुकेश सहनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अर्पणा सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी सदस्यों को और आदरणीय बिजेन्द्र बाबू जो हमलोगों के अभिभावक है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं पुनः आपलोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द ।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्षः सभा सचिव ।

सभा सचिवः महोदय, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निमयावली के निमय 267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 290 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/मधुप/24.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री सत्यदेव राम ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, दो बातें रखने की इजाजत चाह रहा था ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये अभी ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, दो बात रखने की इजाजत चाह रहा था ।

अध्यक्ष : नहीं । अभी इजाजत नहीं है, बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं सदन के हित की बात करना चाह रहा हूँ ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम । नहीं हैं ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–2 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ । नहीं हैं ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–3 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री ललन कुमार ।

(अनुपस्थित)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक मिनट का वक्त दिया जाय ।

अध्यक्ष : नहीं–नहीं । आपकी कोई बात अभी प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री ललन कुमार । नहीं हैं ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–4 : श्री गुंजेश्वर साह, स0वि0स0

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया बरहशेर पंचायत के मुम्हरा घाट पर जनहित में पुल का निर्माण करावे ।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बिना अनुमति के नहीं बोलेंगे । बैठ जाइये । नहीं अनुमति मिली है अभी । बैठ जाइये । अभी माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प है ।

मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बरहशेर पंचायत के आदिवासी टोला, बेला टोला आदि ग्राम अवस्थित है जिसकी सम्पर्कता शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित कुरमा घाट आदिवासी टोला से बेला टोला पुल तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बरहशेर कुम्हरा घाट आदिवासी टोला अवस्थित है जो नदी के लगभग 700 मीटर पर स्थित है । छूटे हुए बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के तहत सर्वे कार्य करा लिया गया है । तद्नुसार समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा । अभिस्तावित पुल के अपस्ट्रीम पर 5 कि0मी0, डाउनस्ट्रीम पर 7 कि0मी0 दूरी पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । अतः अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपुर्यक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, वह बहुत महत्वपूर्ण पुल है । वहाँ समूचा गाँव का लोग नदी के उस पार भी बड़ा गाँव बसा हुआ है, दोनों के बीच में नदी रहने के कारण वे लोग बिना नाव के चल ही नहीं पाता है और नाव हमेशा रहता नहीं है । वहाँ बड़ी कठिनाई होती है इसीलिए उस पुल का निर्माण होना बहुत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि जनहित में उसको अविलम्ब बनवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गुंजेश्वर साह : संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–5 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–6 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–7 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद अनजार नईमी ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक–8 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु एक डिग्री कॉलेज स्थापित करावे।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उन्हीं अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहॉ पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली विधान सभा क्षेत्र मुख्यतः गोपालगंज अनुमंडल के बरौली एवं मांझा प्रखंड का क्षेत्र है । गोपालगंज अनुमंडल में पूर्व से ही गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज एवं महेन्द्र महिला कॉलेज, गोपालगंज अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहे हैं । इसलिये अभी वहॉ डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है । इसलिए महोदय, अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रामप्रवेश राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, प्रस्ताव तो हम वापस ले ही लेंगे, बहुत पहले का जो नियम रखे हुये हैं कि एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज, क्या इस नियम को आप प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज देने का कष्ट करेंगे ? इसलिये कि दूरी काफी हो जाती है, महोदय । हर विधान सभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज, 5 थाना है, 3 प्रखंड है और इतने बड़े क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज आवश्यक है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य सहमत होंगे कि कोई हमारा यह नहीं कहना है कि एक अनुमंडल में एक ही होगा, हमने तो कहा कि आप ही के अनुमंडल में दो डिग्री कॉलेज पहले से है । हमारे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अभी जिन

अनुमंडलों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकार प्राथमिकता से वहाँ खोल रही है । उन सबमें हो जायेगा तो फिर दूसरे का भी देखा जायेगा ।

इसलिये अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिये, बाकी सब आपके अनुरोध पर हमलोग विचार करेंगे ।

महोदय, इसके साथ ही एक अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के जो 4-5 बिल कल यहाँ से पास हुये हैं, उच्च सदन में हमें करना है । या तो शिक्षा विभाग के सभी संकल्पों को प्राथमिकता से पहले ले लिया जाय और नहीं तो फिर बाद में उसको कोई हमारे दूसरे साथी मंत्री जी विभाग की तरफ से पढ़ देंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक - 9 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : शिक्षा विभाग का पहले ले लेते हैं ।

क्रमांक-17 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिथिलांचल में पड़ने वाले सभी सरकारी कार्यालय एवं विद्यालय भवनों पर मिथिला की लिपि मिथिलाक्षर में नाम दर्ज करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसपर पहले भी सदन में विमर्श हुआ है और अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । समय आने पर विचार किया जायेगा ।

महोदय, अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, यह सरकार संवेदनशील सरकार है । इस सरकार ने भोजपुरी, मैथिली और जितनी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनको बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है । पिछले दिनों सरकार ने घोषणा भी किया है कि हम प्रारंभिक विद्यालयों में इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे ।

महोदय, जब इसकी पढ़ाई शुरू हो रही है और उर्दू में लिखा जा सकता है, बंगला में बंगाल में लिखा जा सकता है तो मिथिलाक्षर में यदि सरकार नहीं लिख सकती है तो कम से कम मैथिली में जरूर दर्ज करावे । यह हमारी सरकार से माँग है, महोदय ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, सरकार को जवाब तो देने दीजिए । बहुत भीड़ भी नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमने तो कह दिया कि मैथिली भाषियों की भावना को देखते हुये सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में जो शिक्षण की भाषा होगी, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मैथिली होगा ।

हम इसपर विचार करेंगे, आप अभी वापस ले लीजिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : धन्यवाद महोदय, मैं इसी के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–18 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्व0 रामाश्रय प्रसाद सिंह के जन्म दिवस को सरकारी समारोह के रूप में मनावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ऐसा तो अभी कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन माननीय सदस्य अभी वापस ले लें । रामाश्रय बाबू से हमलोगों की भी हमदर्दी, सहानुभूति है, हमलोग इसपर विचार करेंगे । अभी वापस ले लें ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, रामाश्रय बाबू बिहार के एक जनमानस के नेता थे और 50 वर्षों तक बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा के सदस्य के रूप में रहे हैं और उनके समकक्ष जितने भी नेता स्वर्गीय हुये हैं, सबका जन्मदिन राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है । इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आश्वासन दें ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा ही कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन आगे विचार करेंगे । इसलिये अभी तो वापस ले लें ।

श्री अनिल कुमार : प्रस्ताव तो आ ही गया है । प्रस्ताव तो आ गया है, सर । माननीय मंत्री आश्वासन दे दें ।

अध्यक्ष : विचार होगा, आश्वासन है ।

श्री अनिल कुमार : माननीय मंत्री के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–13/आजाद/24.03.2021

क्रमांक–24 : श्री विनोद नारायण झा, स0वि0स0

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य की मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैथिली भाषा संविधान की अष्टम् अनुसूची में सम्मिलित है । सदन जानता है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि यह भी आपके

एन0डी0ए0 सरकार की ही देन है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी । इसलिए यह तो संविधान की अष्टम् अनुसूची में दर्ज है, इसको तो ऊँचाई इस भाषा को मिल ही चुकी है । जो अपने संवैधानिक व्यवस्था में किसी भाषा को ऊँचे स्थान पर प्रतिष्ठित करने की जगह होती है, उस ऊँचाई तक मैथिली को पहुँचा दिया गया है । इसलिए इसे क्लासिकल भाषा के रूप में अनुसूची करने के संबंध में अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । चूँकि अष्टम् अनुसूची में यह शामिल है, इसलिए माननीय सदस्य इसको वापस ले लें ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, असल में अभी भारत सरकार ने अपनी महान परम्पराओं को फिर से उजागर करने के लिए एक नीति बनायी है और यूनेस्को ने भी इस बार दुनिया में कहा है कि भाषायें खतम हो रही है तो जो 1500 वर्षों से पूर्व पुरानी भाषा है, उसको क्लासिकल भाषा बनाया जाय और उसको पुनर्जीवित किया जाय । उसमें सात भाषाओं को अभी तक चयन हो चुका है, वह है कन्नड़, मलयालम, तेलगू, संस्कृति और अभी उड़िसा इसकी लड़ाई में लगा हुआ है । मैथिली भी शास्त्रीय भाषा है, क्योंकि इसकी भी 1000-1500 साल पुरानी लिपि है और इसका कारण यह है अध्यक्ष महोदय, पहले था कि विद्यापति चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में हुए और उसके पहले मैथिली नहीं थी। लेकिन अभी महापंडित राहुल सांस्कृतयान जब उन्होंने तिब्बत से पांडूलिपियां वापस लायी तब नई रोशनी प्राप्त हुई । बारहवीं सदी में नालन्दा विश्वविद्यालय को जला दिया गया लेकिन उससे पहले पांडूलिपियां तिब्बत और व्हेनसांग के द्वारा चीन चली गई तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जब गये, वहां जब पहुँचे तो उन्होंने जो पांडूलिपियां लायी, उसमें मिथिलाक्षर और तिरहुता में कई ग्रंथ थे । जो जापान के सहयोग से प्रकाशित, रिप्रिन्ट कराया फोटो और वह बिहार रिसर्च सोसाईटी में सुरक्षित है । इसलिए हमारी भाषा भी 1500 साल पुरानी हो जाती है । लेकिन इसकी एक मानक प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रिया क्या है, एक कमेटी बनाती है जो अभी उड़िसा ने उड़िया के लिए एक कमेटी बनायी है और उस कमेटी में इतिहासकार, साहित्यकार और उन लोगों ने रिसर्च किया उस भाषा के पौराणिकता पर और उसके इतिहास पर और तब जाकर के उन्होंने रिकोमेंड किया है, उड़िया भाषा पर काम चल रहा है । मैसूर में राष्ट्रीय भाषा संस्थान स्थापित था जिसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसको शास्त्रीय भाषा के लिए डिम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। वहां मैसूर से इस भाषा के विकास का काम चलेगा । बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली है और उत्तर भारत में संस्कृत को छोड़ दें तो पूर्वी भारत में मैथिली ही एकमात्र भाषा है, जो इसकी अर्हता रखती है और मुझे तो यह भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री को जब लोगों ने मैथिली वाले विद्वानों ने मिला तो 13 फरवरी, 2019 को उन्होंने एक पत्र भी लिखा है

भारत सरकार को कि मैथिली भी उस अनुरूप भाषा है लेकिन उसकी जो अर्हता है, वह तभी पूरी होगी जब एक विद्वानों की कमेटी बनेगी ....

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री विनोद नारायण झा : हो गया अध्यक्ष जी, कृपा करिए । वह तब होगा जब एक कमेटी का गठन होगा और उसमें विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, मैथिली भाषा और साहित्य से जुड़े विद्वान भी रहेंगे, इतिहासकार भी रहेंगे और उस कमेटी का फाईंडिंग जब भारत सरकार को प्राप्त होगा तो शास्त्रीय भाषा के एक रूप में इसकी मान्यता स्थापित होगी । इसलिए यह 1500-2000 साल हमारी पुरानी भाषा स्थापित है, इसलिए हम चाहते हैं, इसमें इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अनुशंसा करनी है । इसीलिए इस प्रस्ताव को भारत सरकार को अनुशंसा करनी है । इसलिए ऐसा जो भारत सरकार को अनुशंसा होती है उसमें संकल्प को वापस लेने की आवश्यकता नहीं होती है । इसीलििए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप एक कमेटी बनाकर घोषणा करें जो पता करे कि मैथिली में शास्त्रीय भाषा होने की अर्हता है कि नहीं और इसकी घोषणा कर दें और भारत सरकार को इसके लिए रिकोमेंड करने की बात है, इसलिए इसमें वापस लेने की कोई बात नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जितनी बातें कही है, सरकार उसका संज्ञान लेती है । माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, हम उसमें देख लेंगे कि किस कमेटी का क्या मामला है, हम उसको देखेंगे, अभी ये वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, इसको वापस लेने का कोई सवाल नहीं था लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको देखेंगे भी और मैं उनको लिखकर भी दूँगा और इसपर माननीय मंत्री जी विचार भी करेंगे और इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि उत्तर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी,

अध्यक्ष : वापस ले रहे हैं ?

श्री विनोद नारायण झा : यहां की एक भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित होगी, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-33 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

क्रमांक-44 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक पथ के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाने वाली, भारतीय समाज में हजारों साल पूर्व विकसित योग अभ्यास, शिक्षा को विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु पाठयक्रम में विषय एवं संकाय के रूप में प्रारंभ करावे । ''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पाठ्यचर्या में योग अभ्यास एक महत्वपूर्ण अंग है । योग की चर्चा होती है, योग का अभ्यास कराया जाता है परंतु इसे पाठ्यक्रम में विषय एवं संकाय के रूप में प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन इसके जो व्यवहारिक पक्ष है उसका उपयोग किया जा रहा है और वह लागू है । इसलिए अभी हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, अभी सम्पूर्ण विश्व योग की महानता को स्वीकारते हुए योग दिवस मना रहा है और बिहार तो योग की जननी रही है । मेरे पास एक सूची है देश के विभिन्न राज्यों की जहां पर योग की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर पर की जा रही है, पाठ्यक्रम भी है तो इसमें सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि इसको विचार करें कि योग के लिए एक रोजगार की भी नई संभावनायें हमारे युवाओं के लिए सृजित होगी और हमारे बिहार की जो संस्कृति और संस्कार है और योग तो जन्मदाता रहा है, बिहार तो जन्मदाता रहा है योग का, उसमें भी बिहार की गरिमा और बढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ कि मंत्री जी मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : विचार करेंगे । अभी तो कहे हैं कि विचार करेंगे और दूसरा जो माननीय सदस्य की चिन्ता है .....

अध्यक्ष : मंत्री जी, पूरी गंभीरता के साथ विचार करेंगे कोरोना काल में ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : पूरी गंभीरता के साथ ।

श्री नीतीश मिश्रा : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

एक मिनट, आप बताइए ।

टर्न-14/शंभु/24.03.21

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो निराश होकर आपने अनुमति नहीं दी थी, जा चुका था लेकिन आपका संदेश मिला और आपके संदेश को मैंने हुक्म जाना और उसका आदर और सम्मान करना जरूरी समझा और उपस्थित हो गया हूँ । आपने अच्छा ही किया कि एक और गलत तारीख को लिखने से आपने मिटा दिया और हमें अवसर दिया, शायद यह एक अच्छा संकेत जायेगा । मैं, मेरा वजूद इस सदन में हुजूर कि ये मेरा सौभाग्य है या इत्तेफाक कि मैं पक्ष और विपक्ष के दरम्यान में एक अलग पहरेदार का मेरा वजूद है । मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागवां अपना यानी न फूल अपने थे, न कांटे अपने थे, न माली अपना था लेकिन माली ने दुबारा मुझे बुलाया है और कहने का मौका दिया है । कल हाऊस में जो कुछ भी हुआ है इस बिल के आलोक में हाऊस ही नहीं पूरा बिहार शर्मशार है । मुझे उससे बड़ी तकलीफ पहुंची है । मेरी पार्टी का अपना कहना है कि तसदुद को अहिंसा को चाहे पक्ष की ओर से हो या विपक्ष की ओर से हो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । यह हाऊस वाद-विवादों से, विचारों से चलेगा, तख्ती से नहीं चलेगा यह हमारी पार्टी का सुझाव ही नहीं बल्कि यह हमारे बुजुर्गों की परंपरा रही है । कल जो कुछ हुआ है हमारे बच्चों ने उसे देखा है । मुझे माफ कीजियेगा कल मेरे बच्चे यहां आने के लिए तैयार थे तो हमने कहा आज मत जाओ और अच्छा किया था नहीं लाया था क्योंकि अगर कल मेरे बच्चे हमको देख लिये होते तो शायद जिंदगी भर हमारे इस कार्य को माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देख लिया है लोगों ने ।

अध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, इस वक्त बिहार की परंपरा जो रही है मुख्तसर मैं कह रहा हूँ वैसे तो कोई काम अब रहा नहीं है संकल्प ही पढ़ने हैं । महोदय, यह है कि विपक्ष भी सत्ता का अंग माना जाता है और एक सौहार्द्रपूर्ण माहौल कैसे बने इसके लिए हाऊस को प्रयास करने की जरूरत है और लोगों को जो शंका है कि बिहार में राजनीति इस वक्त धरातल में जा रही है इसको बचाने का प्रयास किया जाय । आप एक ऊंचे सदन पर हैं, ऊंची कुर्सी पर हैं, पक्ष और विपक्ष से उपर हैं, आप गार्जियन का रौल अदा करते हैं । हम आपका मान सम्मान भी करना चाहते हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन एक सौहार्द्रपूर्ण महौल कैसे बनेगा उसके लिए प्रयास किया जाय । हमारी पार्टी आपसे गुजारिश कर रही है कि हम विधायकों को अपमानित नहीं होने देना चाहते, हम सरकार को बदनाम होने देना नहीं चाहते बल्कि हम लाठी और डंडे की, पुलिस की दाखिला इस सदन में हो यह भी अच्छी परंपरा हमारे लिये नहीं होगी। हाऊस आइन्दा कैसे चले इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए । इसका मतलब यह

नहीं है कि सदन का आज आखिरी दिन है आज समाप्ति हो गया । सदन को आगे के दिनों में भी चलना है और हमको इसी बिहार में राजनीति करनी है । इसलिए कि बिहार की जनता के गाढ़ी खून और पसीने की कमाई से हम यहां पर हैं । इसलिए हमें एक माहौल बनाने की जरूरत है । इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि कोई न कोई उपाय निकालिये ताकि इस हाऊस की जो रूपरेखा है वह सौहर्द्रपूर्ण माहौल में तब्दील हो। यह संदेश था जो अंदर की आवाज थी मैं दबा न सका था और यही कहने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ था, अगर गलती हुई हो तो माफ कीजियेगा, अगर मशविरा अच्छा हो तो इसपर अमल करने की कोशिश कीजियेगा ।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, अभी श्री अख्तरूल ईमान साहब ने जो बातें कही है या जिस चीज को रखा है उन्होंने मैं उनकी भावना का कद्र करता हूँ । इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चीज उन्होंने आपको कहा है आपसे आग्रह किया है पूरा सदन, सरकार और सत्तपक्ष के भी सभी लोग इस पक्ष में हैं कि सदन की कार्यवाही सही ढंग से चलनी चाहिए । महोदय, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कल भी जो बातें हुई थी, जो कुछ घटनाएं इस सदन में घटी वह किसी से छिपी हुई तो नहीं है । आज कल तो एक-एक चीज रेकोर्डेड होता है, अगर आप इस सदन में उसको प्रत्यक्ष देखने से छूट गये हैं, मिस कर गये हैं तो आप उसका कहीं रिप्ले देख सकते हैं । इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है । महोदय, कल भी जिस ढंग से आसन आहत हुआ था और आसन की तरफ से जो भावनाएं व्यक्त की गयी थी हमलोगों ने, सरकार और सत्तापक्ष की तरफ से सिर्फ आपकी बातों के समर्थन में अपनी बात रखी थी और अख्तरूल ईमान जी की बातों का कद्र करते हुए सिर्फ एक बात हमको समझ में नहीं आयी कि उन्होंने जो कहा, जिस तसदुद की बात उन्होंने कल की उसमें सत्तापक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो इसका क्या मतलब है वह मेरे समझ में नहीं आयी और मैं महोदय, आपसे आसन से और अख्तरूल जी से और पूरे सदन से और मीडिया के भी सभी साथी बैठे हैं- कल के पूरे कार्यवाही का रिप्ले देख लीजिए । इन्होंने जो कहा कि सत्तापक्ष या विपक्ष तो कल सत्तापक्ष के तरफ से क्या हुआ था ? कल जितने और जिस ढंग से हिंसात्मक कार्रवाई हुई सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने शांतिपूर्ण और सहनशीलता का जो मिशाल पेश किया है वह तो आप भी देखे होंगे । यह पूरी दुनिया ने देखा है कि सारे उकसावे के बावजूद सभी तरह के वाइलेंस, हिंसात्मक कार्रवाई के बावजूद पत्थर फेंके गये, कागज फाड़े गये, आसन को बेइज्जत किया गया, लेकिन इन सब उकसावों के बावजूद अख्तरूल साहब, सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने, सरकार और सत्तापक्ष के सभी सदस्यों ने जो संयम और सहनशीलता का परिचय दिया है आप बताइये, आप भी उतनी सहनशीलता दिखा सकते थे

क्या ? जिस ढंग की सहनशीलता सत्तापक्ष ने दिखायी । आपने बातें सही कही, लेकिन कल के घटना में जो विपक्ष के साथ आपने सत्तापक्ष को भी जोड़ दिया तसदुद के लिए यह बात हमलोगों के समझ में नहीं आयी, यह हमलोग नहीं समझ पाते हैं । इसलिए आपकी जो मूल भावना है कि विपक्ष के भी सभी सदस्य सरकार के ही अंग होते हैं । ये सब लोग भी सरकार के साथ रहते हैं, आप भी सरकार के साथ हैं । आप तो और बराबर कहते हैं कि हम न इधर हैं, न उधर हैं तो आप तो और रेफरी की भूमिका में रहते हैं । हमलोगों को अच्छा ही लगता है, आप जहां भी रहिये हमको अच्छे लगते हैं, भले हम आपको अच्छे लगे न लगें, यह आपका फैसला है । लेकिन कभी-कभी इंसाफ की बात भी करनी चाहिए, अंदाज मुंसिफाना भी होना चाहिए कि आप किसी गलत चीज को उद्धृत करते हुए गलत करनेवाले को और संयम दिखाने वाले को एक साथ रख देंगे तो ये अंदाज मुंसिफाना नहीं कहलायेगा । इसलिए महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इन्होंने जो कहा है सरकार और सदन सब आपके साथ है । हम आपके निर्णय के साथ हैं महोदय ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, सौहार्द्रपूर्ण माहौल कैसे बने उसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है और सदन में पुलिस का दाखिला यह सबके लिए निंदनीय है । यह अच्छी रवायत नहीं है हमलोग चाहते हैं कि संयम और सौहार्द्र से हाऊस चले यही न्यौता देने के लिए अपने को नहीं रोक सके, यही न्यौता देने के लिए मैं आया हूँ सर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । आप शांति बनाये रखें । आपस में वाद-विवाद न करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, अखतरूल जी ने पुलिस को भी बुलाने की बात कही यह भी तो सदन को विचार करना होगा कि अगर आज तक पुलिस नहीं आयी थी तो आज ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की गयी कि पुलिस को बुलाने की जरूरत पड़ी और आज सदन में इस बात को देखना होगा न । मैं इसीलिए बराबर कहता हूँ कि आज के बढ़े हुए सूचना तकनीक के युग में आप अगर नहीं भी थे तो एक-एक चीज की विडियोग्राफी मौजूद है। इस सदन में पत्थर चले अख्तरूल जी, यही जम्हूरियत है ? इसी के लिए हमलोग मुन्तकम होकर आते हैं ? इसी के लिए हम जनता का विश्वास लेकर आते हैं कि पत्थर चलाये जाय और आसन को बेइज्जत किया जाय, आसन को घेरकर स्पीकर आसन पर नहीं जाएं । सामने हमारे सचिव महोदय को पूछिए- आप देखिए सचिव ज्यूडिशियरी के पदाधिकारी होते हैं, हाईकोर्ट जज के रैंक में होते हैं और ये खड़े हैं और इनके आगे से कुर्सी खींच ली गयी । यह जम्हूरियत है ? यह प्रजातंत्र का नमूना है ? यह लोकतंत्र का मंदिर है ? क्या इसीलिए जनता हमको विश्वास देती है ? यही विश्वास लेकर हम आते हैं और आपने बात सही कही है । हमलोग भी चाहते हैं माहौल सही चले, अध्यक्ष

महोदय अधिकृत हैं, हमलोग के तरफ से तो स्थायी रूप से अधिकृत हैं । जो फैसला लेंगे हमलोग साथ हैं, लेकिन कृपा करके हर समय कहीं पेच मारकर मत बोलिये । सत्तापक्ष और विपक्ष कल की जो घटना घटी है हम तो चुनौती के साथ कहते हैं- आप एक वाकया, एक मिनट का समय बताइये जब हमारी संख्या कोई कम है क्या ?

क्रमशः

टर्न-15/ज्योति/24-03-2021

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आज आपने देखा है पूरे सदन की जो ताकत है स्ट्रेंथ है उससे अधिक, आपलोग तो थे भी नहीं, आपके बिना हमलोग स्पष्ट बहुमत से ऊपर हैं जो पूरा स्ट्रेंथ है और आप आ जाईयेगा तो और ज्यादा हो जायेगा यह भी बात अलग है लेकिन आप बोलिये कि इतनी बड़ी संख्या रहने के बावजूद अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग की उकसावेपूर्ण यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, आसन को बेइज्जत किया जा रहा था, मंत्री के हाथ से कागजात छीने जा रहे थे और दूसरी तरफ मार पीट की नौबत बनायी जा रही थी । आप टेबुल की हालत देखिये और इस पर आपने कह दिया कि यह जो तसदुद का माहौल है इसके लिए चाहे विपक्ष या सत्ता पक्ष दोषी है । आपको सत्ता पक्ष की कहाँ भूमिका नजर आ गयी ? और अगर आपको सत्ता पक्ष की भूमिका नहीं नजर आयी फिर भी आपने विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का नाम ले लिया तो यह आपकी कौन सी मंशा दर्शाती है । इसलिए, अखतरुल जी खुदा के नाम पर कभी-कभी बिल्कुल मुंसिफाना अंदाज रखिये ।

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ने दीजिये ।

श्री अखतरुल ईमान : माननीय संसदीय कार्य मंत्री से, सर जो कुछ हुआ, अफसोस तो है ही लेकिन शायद सदन के तमाम लोगों को और आपको भी और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी विधायकों के साथ अंदर में जो कुछ हुआ लेकिन बाहर में जो कुछ उनके साथ खासकर महिला विधायिकों के साथ जो कुछ हुआ है शायद उस पर आपको भी अफसोस होगा, अफसोस होना चाहिए ।

अध्यक्ष : अखतरुल ईमान जी, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोकतंत्र के प्रहरी को जिसको आस्था होगी, विश्वास होगा उनके साथ हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी के रुप में हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं लेकिन उन संवैधानिक संस्थाओं पर जो चोट करेंगे, अपमानित करेंगे वैसे लोगों पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है।

अब गैर सरकारी संकल्प- माननीय सदस्य श्री सुधाांशु शेखर जी ।

क्रमॉक 50–श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखण्ड में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नये केन्द्रीय विद्यालय के स्थापना का निर्णय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा लिया जाता है । विद्यालय खोलने के पूर्व राज्य सरकार प्रायोजित प्राधिकार द्वारा विद्यालय संचालन के निमित अस्थायी विद्यालय भवन की व्यवस्था करनी होती है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मापदंड के अनुरुप नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु अर्द्धशहरी/ग्रमीण क्षेत्र के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करनी होती है । संप्रति मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री सुधाांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमॉक–19 श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमॉक–49–श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमॉक–64–श्री अवध बिहारी चौधरी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमॉक–78–श्री अरुण कुमार सिन्हा,स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री विद्यासागर केशरी जी प्राधिकृत हैं ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना के कुम्हरार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सैदपुर नहर का पुननिर्माण करावे ।''

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य अभियंता, योजन, निरुपण एवं अनुश्रवण नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना नगर निगम, खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं इसके अगल बगल के क्षेत्र के कंप्रीहेसिव स्ट्रौंग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग, डिजाईन, डी.पी.आर. प्रीपेरेशन एवं डीड डौकुमेंट्स

का कार्य कंसलटेंट से कराया जा रहा है । उक्त वर्णित कार्य के तहत सैदपुर नाला का भी प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । योजना की स्वीकृति के उपरांत राशि की उपलब्धता एवं निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री विद्यासागर केशरी : मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक 10–श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक 11–श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक 12–श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक 13–श्री विनय बिहारी,स0वि0स0

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिला के वाल्मिकी नगर को राजस्व जिला बनावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 1287 दिनॉक 3–2–2017 के माध्यम से जिले के भीतर प्रखंड,अंचल एवं थाना की सीमाओं में सुधार और निकट के जिलों के साथ जिलों की सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने हेतु सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । मंत्रिमंडल सविवालय विभाग की अधिसूचना संख्या –858 दिनॉक 29–8–2017 के द्वारा राज्य में जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियें के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । इस समूह को सचिवालीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है । इसके अतिरिक्त जिला/अनुमंडल,प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन के संबंध में लंबित प्रस्तावों एवं जनता से प्राप्त सभी मांग पत्रों की समीक्षा कर उसे मंत्री के समूह के समक्ष रखने हेतु सचिवों की समिति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 590 दिनॉक 27–4–2016 द्वारा पूर्व से गठित है । सचिवों की समिति की बैठक दिनॉक 8–2–2017 में लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के संबंध में जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम

से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों के समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है । उक्त प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारीं, पुलिस अधीक्षकं से अनुरोध किया गया है जो प्रतीक्ष्य है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, 1996 में बगहा पुलिस जिला बना 25 साल हो गया, 25 साल में आप सभी को मालूम है कि बिहार के बड़े जिलों में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और बड़ा जिला होने की वजह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में दो दो दिन लग जाता है और कलक्टर से मिलना और बाबा वैद्यनाथ धाम जाकर बाबा से मिलना बराबर है । विधायक लोगों को चार चार घंटा बैठना पड़ता है कलक्टर साहेब से मिलने के लिए, महोदय, ऐसे कैसे विकास होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार अपने भाषण में बगहा को जिला बनाने के लिए महर्षि वाल्मिकी जी के नाम से मंच से एलान कर चुंके हैं । इसलिए चाहता हूँ और यह मेरा तीसरा गैर सरकारी संकल्प है और इसके पहले दो बार और गैर सरकारी संकल्प आया था और यही उत्तर उस समय के माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया था, मैं सुन चुका हूँ इसलिए मेरा आग्रह है कि पश्चिमी चंपारण को दो जिला में विभक्त किया जाय और महर्षि वाल्मिकी जी के नाम पर बगहा को जिला मुख्यालय बनाते हुए वहाँ पर जिला का गठन किया जाय । महोदय, 25 साल से पुलिस जिला है जो 1996 में बना है ।

टर्न-16/पुलकित-अभिनीत/24.03.2021

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, हमने माननीय सदस्य को विस्तार से बताया है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या- 407 (4), दिनांक- 25.10.2019 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रीय अधिकार की सीमाओं में 31 मार्च, 2021 तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है ।

अतः माननीय सदस्य अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय बिहारीः महोदय, हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो-दो बार बगहा के भाषण में बोल चुके हैं, 25 साल हो गये हैं लेकिन हर बार यही उत्तर आता है । मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वाल्मीकि नगर जिला बगहा जिला मुख्यालय बने और

यह हो हमारा आग्रह रहेगा । मैं इस आशा, विश्वास के साथ कि मेरी बातों पर विचार किया जायेगा मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 14: श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

अध्यक्ष: माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा, आपको अधिकृत किये हैं । पढ़ दीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के नेपाल सीमा से आने वाली लक्ष्मणा नदी की उड़ाही कराकर जीवंत जल धारा के प्रवाह को चालू करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लखनदेई नदी जिसको लक्ष्मणा नदी भी कहते हैं सीतामढ़ी जिला के नेपाल सीमा से शुरू होकर सोनवर्षा, डुमरा, रून्नी सैदपुर प्रखंड होते हुए बागमती नदी में मिल जाती है । लखनदेई नदी की नई धार से लखनदेई नदी की पुरानी धार से मिलाने एवं पुरानी धार की उड़ाही से संबंधित योजना 19 करोड़ 90 लाख की लागत से 21 किलोमीटर में नदी की उड़ाई कर जल प्रवाह को चालू करने की योजना कार्यान्वित है । इसके अंतर्गत 18 किलोमीटर में उड़ाही का कार्य हो चुका है, शेष 3 किलोमीटर में उड़ाही कार्य भू-अर्जन मुआवजा के भुगतान के कारण बाधित है । भू-अर्जन मद में आवंटन प्राप्त हो गया है शीघ्र ही किसानों को भू मुआवजा का भुगतान कर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा । जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को मैंने पर्सनली चार दिन पहले दूरभाष पर मुआवजा भुगतान की कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश दिया है और जल्द ही यह 3 किलोमीटर भी पूरा हो जायेगा ।

अत: माननीय सदस्या से आग्रह है कि इसको वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को सकारात्मक जवाब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । इसलिए मैं इस प्रस्ताव को वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 15: श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला सदर अस्पताल, मधेपुरा में एक महिला सर्जन चिकित्सक का पदस्थापन करावे ।''

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल मधेपुरा में छ: महिला सर्जन चिकित्सक पदस्थापित किये गये थे परंतु वर्तमान में मात्र एक महिला सर्जन चिकित्सक डॉ0 प्रीति कुमारी पदस्थापित व कार्यरत हैं । वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 पद रिक्त हैं । उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग

के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है । आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार महिला सर्जन की पदस्थापना की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-16: श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलांतर्गत तरैया प्रखंड के शंकरडीह-चंचलिया गांव के पास सारण तटबंध एवं मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पारू प्रखंड के फतेयाबाद तटबंध के बीच गंडक नदी पर पुल-सह-पक्की सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट फतेयाबाद इत्यादि को कमलपुरा से फतेयाबाद पथ जिसकी मरम्मती बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत कराई गयी है, से सम्पकर्ता प्राप्त है । दूसरी तरफ के बसावट चक्की सुहागपुर एवं परशुरामपुर को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत फतेयाबाद से चक्की सुहागपुर पथ से बसावट चंचलिया को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत भलुआ ढाला से भलुआ, नोनिया टोली होते हुए भलुआ बाजार तक पथ से बसावट शंकरडीह को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत भलुआ सारण बांध को पश्चिमी ढ़ाला से हसनमुल्लाहमियां एवं कुम्हार टोली होते हुए खदरा पुल पथ से सम्पर्कता प्राप्त है, इस प्रकार पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को विभिन्न पथों से सम्पर्कता प्राप्त है । अत: अभिस्तावित पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपको सारण जिला और मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत दो पुल का निर्माण हुआ है । रेवा घाट और बंगरा घाट, इन दोनों की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है । मुजफ्फरपुर जिले के लोगों की जमीन छपरा जिला की तरफ पड़ जाती है और छपरा जिला के लोगों की जमीन का बड़ा भू-भाग मुजफ्फरपुर जिला में पड़ जाता है । अब खेती करने में लोगों को 70 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता है । गण्डक नदी है, नारायणी नदी है, इसलिए हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से, यह विषय तो जल संसाधन विभाग का है और ग्रामीण कार्य विभाग इसमें कैसे आ गया?

गण्डक नदी पर हम पुल का निर्माण करने की बात करते हैं और ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से जवाब आता है, इसलिए हमारा कहना है कि 40 किलोमीटर से अधिक की दूरी से बीच गण्डक नदी में एक बड़ा पुल का निर्माण कराया जाय और दोनों जिलों को जोड़ने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि स्पष्ट जवाब सदन की तरफ से मिले ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित स्थल गण्डक नदी की चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम पर 25 किलो मीटर पर और डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर पुल निर्मित है । महोदय, अभी कोई प्रस्ताव इसका विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री जनक सिंह: महोदय, वापस तो ले ही लेंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ...

अध्यक्ष: ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 20 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0</u>

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत जमुनिया पंचायत के खैरी घाट पर धनौती नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ बसावट खैरीमल ग्राम को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ एन0एच0 28 चिंतामनपुर से खैरीमल से सम्पर्कता प्राप्त है । दूसरी तरफ के बसावट कसुआ को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पी0डब्लू0डी0 पथ बतरौलिया चौक से खैरी घाट से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम पर 3 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम पर 4.5 किलोमीटर पुल पूर्व से निर्मित है । इस अभिस्तावित पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लें ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो चर्चा कर रहे हैं खैरी घाट का जो स्थल है पुल बनाने का हम जो प्रस्ताव रखे हैं वहां से 10 किलोमीटर दूरी है और मोतिहारी जाने के लिए 40 किलोमीटर घूम कर मोतिहारी जाना होता है, अगर यह पुल बन जाय तो पांच मिनट भी नहीं लगेगा मोतिहारी जाने में, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वह पुल निर्माण कराने का काम करें ।

अध्यक्ष: ठीक है, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: ठीक है ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–17/हेमन्त–धिरेन्द्र/24.03.2021

क्रमांक–21: श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के अस्थावाँ प्रखण्ड के नैरूत औंदा पैक्स एवं हिलसा प्रखण्ड के इन्दौत पैक्स सहित सभी 40 पैक्सों के बकाया विपत्रों का S.F.C. से भुगतान करावे ।''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ वितरण वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत नालंदा जिले में कुल 43732.56 क्विंटल सी0एम0आर0 चावल की क्षति/गबन हुआ है ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार के द्वारा सभापति का आसन ग्रहण किया)

गबन की गयी सी0एम0आर0 चावल की मात्रा 43732.56 क्विंटल है, जिसका मूल्य 10,39,08,563/– रुपये होता है । उपर्युक्त मामले में विभिन्न पैक्सों/कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज होने के कारण गबन की गयी सी0एम0आर0 की मात्रा के समतुल्य राशि 10,39,08,563/– रुपये का भुगतान लंबित है । इस मामले में दर्ज प्राथमिकी का विवरण निम्न प्रकार है–

लहेरी थाना कांड सं0–279/2017, हिलसा थाना कांड सं0–68/2018, सारे थाना कांड सं0–31/2018 । ज्ञात हो कि उपरोक्त सभी कांड में अनुसंधान जारी है । फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, नालंदा से अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को अप्राप्त है, साथ ही उपरोक्त गोदाम में पायी गयी क्षति/गबन के फलस्वरूप गोदाम के सहायक प्रबंधक के विरुद्ध संबंधित विभाग में आरोप पत्र, प्रपत्र–क गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा चुका है तथा उपरोक्त वर्णित गोदामों पर पदस्थापित कार्यपालक सहायक को प्राथमिकी में अभियुक्त बनाते हुए कार्य मुक्त किया जा चुका है । प्राथमिकी के फलाफल के आधार पर लंबित राशि के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, इसमें कहा गया है कि एफ0आई0आर0 की गयी है । महोदय, पैक्सों के द्वारा ससमय एस0एफ0सी0 को भुगतान किया गया और एस0एफ0सी0 रिसीविंग भी पैक्सों को दिया, वाऊचर भी दिया, महोदय, जब वाऊचर दिया तो भुगतान करना चाहिए । ससमय चावल जब गिराया गया पैक्सों के माध्यम से एस0एफ0सी0 के यहां, तो

क्या दिक्कत हो गयी कि एफ0आई0आर0 हुई । रिसीविंग है, वाऊचर है । महोदय, मैं चाहूंगा कि इसके कारण 40 पैक्स डिफॉल्टर सिर्फ नालन्दा जिले में हैं और...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट कहा है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, स्पष्ट नहीं है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, यह पैक्सों का मामला है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीया मंत्री महोदया ने स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई की जायेगी । कृपया, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि पैक्सों ने एस0एफ0सी0 को चावल दे दिया और एस0एफ0सी0 ने भी स्वीकार कर लिया कि आपने चावल दिया, इसकी रिसीविंग है, वाऊचर है, तो जो यह रिसीविंग हुई, इसका क्या मतलब है ? केवल यह जानना चाहते हैं।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट कहा है कि...

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, यह किसानों का मामला है । महोदय, इसको देख लिया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : देख लेंगे ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, दिखवा लीजिए, यह पैक्सों का मामला है ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : दिखवा लेंगे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक संख्या-22: श्री महानंद सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-23 : श्री हरि नारायण सिंह, स0वि0स0

श्री हरि नारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखण्ड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनौत के अति जर्जर भवन को तोड़कर नये भवन का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्थल निरीक्षणोपरांत एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हरनौत के द्वारा आवंटित स्थल पर अवस्थित जर्जर भवन को तोड़कर नये 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हो चुका है । प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरनौत के भवन का निर्माण कर दिया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री हरि नारायण सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–25 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–26 : श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–27 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत कोरिया से हवेतपुर होते हुए वासुदेवपुर चाँदपुरा बाँध तक जाने वाली 3.5 कि॰मी॰ सड़क का जनहित में निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : सभापति महोदय, अभिस्तावित प्रश्न तीन पथों से संबंधित है । पहला, कोरिया से हवेतपुर तक पथ, इस पथ की लम्बाई 1.50 कि॰मी॰ है, जो नई अनुरक्षण नीति के अंतर्गत स्वीकृत है एवं मरम्मती कार्य प्रगति में है । दूसरा, हवेतपुर से भगवती स्थान तक पथ, इस पथ की लम्बाई 0.45 कि॰मी॰ है, जो एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत स्वीकृत है एवं निर्माण कार्य प्रगति में है । तीसरा, भवगवती स्थान से वासुदेवपुर चाँदपुरा बाँध तक पथ, इस पथ की लम्बाई 1.55 कि॰मी॰ है, जो कोरिया बाजार से वासुदेवपुर चाँदपुरा बाँध तक का पथांश है, यह पथ नई अनुरक्षण नीति योजना अंतर्गत स्वीकृत है एवं एकरारनामा की प्रक्रिया में है । एकरारनामा की प्रक्रिया पूरी कर मरम्मती का कार्य कराया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, मैं संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–28 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–29 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखण्ड के अन्तर्गत रजवाड़ा गाँव होकर बहने वाली बाँके नदी की उड़ाही लघु जल संसाधन विभाग से करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखण्ड के अन्तर्गत रजवाड़ा गाँव होकर बहने वाली बाँके नदी एक पईन की तरह है । हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत इस नदी का चयन उड़ाही के लिए कर लिया गया है । विस्तृत सर्वेक्षण करा कर इसका डी0पी0आर0 तैयार करवाया जायेगा तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत उड़ाही कार्य कराया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, वापस तो लेना है, फिर भी मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि पिछले साल भी यह प्रश्न डाला हुआ था, अभी तक उड़ाही नहीं हुई है और किसानों को परेशानी होती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि यह जल्द करवा दिया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री जी ने कहा है । कृपया प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस ले रही हूँ । फिर भी आदेश दिया जाय और यह कब तक करवा देंगे, वहां बहुत परेशानी है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-30 : श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0</u>

श्रीमती स्वर्णा सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर गौड़ा बौराम एवं बिरौल प्रखण्डों के सभी गाँवों को वाय-फाय से जोड़ने की अनुशंसा भारत सरकार से करे ।''

टर्न-18/संगीता-सुरज/24.03.2021

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा भारत नेटवर्क का उपयोग करते हुए सी0एस0सी0, एस0पी0भी0 के माध्यम से राज्य के विभिन्न पंचायतों में वाय-फाय से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है । प्रखंडवार सूचना निम्नवत है :

1. दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर प्रखण्ड के 9 ग्राम पंचायतों के 17 ग्राम को चिन्हित किया गया है जिसमें से 11 गांव में फाइबर बिछाया जा चुका है ।

2. बिरौल प्रखंड के 27 ग्राम पंचायतों के 76 गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 69 गांवों में फाइबर बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

3. गौड़ा बौराम प्रखण्ड के 14 ग्राम पंचायतों के 53 गांवों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 40 गांवों में फाइबर बिछाने का काम पूर्ण कर लिया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि वांछित कार्य प्रगति पर है । अतः माननीय सदस्या से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : धन्यवाद, मंत्री महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र जी ।

श्री अचमित ऋषिदेव : सभापति महोदय, मेरा नाम छूट गया है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका आयेगा, फिर दोबारा पुकरवा देंगे ।

क्रमांक-31: श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखण्ड में मक्का और केले उत्पाद के लिए फैक्ट्री स्थापित करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : माननीय सभापति जी, उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखण्ड में मक्का और केले का उत्पादन होता है । जहां तक उक्त प्रखण्ड में मक्का और केले उत्पादन की इकाई की स्थापना का प्रश्न है तो उद्योग विभाग, सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत खाद प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है । निजी क्षेत्रों में निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है एवं निजी उद्योगों को आने की आवश्यकता है। हमलोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निजी उद्योग आये । माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगी कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय सभापति महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–32: श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–34: श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण से शिवहर को जोड़नेवाली मोतिहारी–ढ़ाका–बेलवा घाट, शिवहर R.C.D पथ में अवशेष 3 कि0मी0 सड़क का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : सभापति महोदय, मोतिहारी–ढ़ाका–बेलवा घाट, शिवहर R.C.D पथ एस0एच0–54 पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत छतौनी चौक से बेलवा घाट तक 38.5 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसकी चौड़ाई सात मीटर है । बेलवा घाट के बाद लाल बखिया नदी है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है । उसके बाद शिवहर जिलान्तर्गत 11.75 किलोमीटर एस0एच0–54 का पदयांश है जो 7 मीटर चौड़ा है । बेलवा घाट से तकरीबन तीन किलोमीटर का अंश मिसिंग लिंक है जिस पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं आया है । हमलोगों ने इसको अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसका प्राक्कलन मंगाने का काम कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में इस मिसिंग लिंक के पदयांश का निर्माण किया जायेगा । अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : सभापति महोदय, पिछली बार 2010–15 में हम विधायक थे । 2013–14 में गैर सरकारी संकल्प लाये थे तत्कालीन मंत्री थे नंद किशोर यादव जी उन्होंने आश्वासन दिया था । डी0पी0आर0 बना लेकिन सड़क नहीं बन पाया । संयोग से उसके बाद हम चुनाव हार गये बाद वाले विधायक को इससे मतलब नहीं रहा होगा । राणा रणधीर जी भी बैठे हैं 3 किलोमीटर सड़क के कारण 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है । ये स्टेट हाइवे है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री काफी गंभीर हैं उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर...

श्री पवन कुमार जायसवाल : सभापति महोदय, आप ही के संरक्षण की जरूरत है इस 3 किलोमीटर के चलते 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है शिवहर, सीतामढ़ी जाने में । माननीय मंत्री जी से...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आप माननीय सदस्य...

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, एक सेकेंड । माननीय मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन चाहेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस सड़क का निर्माण माननीय मंत्री जी करा दें ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि अगर इतना लंबा इंतजार वे किए हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में उनको जरूर इसमें सफलता मिलेगी । अत: मैं आग्रह करता हूं कि वे संकल्प वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : जी, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-35 : श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-36 : श्री जितेन्द्र कुमार राय, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-37 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-38 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-39 : श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगुसराय जिला अन्तर्गत बछवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मानोपुर रूदौली गाँव के समीप बलान नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट मोनोपुर को आर0सी0डी0 पथ दलसिंहसराय केदराबाद, मालतीपथ से एवं दूसरी तरफ अवस्थित रूदौली गांव को पी0एम0जी0एस0वाई0 अर्न्तगत निर्मित रूदौली जहानपुर से भरौल पथ से संपर्कता प्राप्त है। पुल स्थल के अप स्ट्रीम पर 8 किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम पर 3 किलोमीटर पर पुल निर्मित है । अभिस्तावित स्थल पर पुल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता : महोदय, ये विधान सभा गंगा, गंडक, बलान और बैंती से घिरा हुआ है और इसकी स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय जाने में इतनी कठिनाई होती है तमाम लोगों को इसलिए जनहित में माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहेंगे कि इस पुल का निर्माण करावे ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं अपना संकल्प वापस लेने का ।

श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-40 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के पर्यटकीय विकास के लिए वहां सौंदर्यीकरण एवं आवासीय व्यवस्था करावे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के निकट पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा मार्गीय सुविधा निर्माण कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में केसरिया के नजदीक मार्गीय सुविधा के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राशि 6 करोड़ 89 लाख 45 हजार रुपये की योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा किया गया है । योजना के अन्तर्गत भवन संबंधी कार्य, पर्यटक सूचना केन्द्र, कैफेटेरिया, शौचालय, पब्लिक कन्वेनियस प्लस कैफेटेरिया, ब्लॉक साइड डेवलपमेंट एंड बल्क सर्विस वाउंड्रीवाल, इंटरनल रोड पार्किंग, ड्रेन वाटर सप्लाई पाइपलाइन, आर0सी0सी0 ओवर हेड वाटर, ट्यूबवेल साइड लेवलिंग एंड फिलिंग, इंटीरियर एंड फर्नीशिंग वर्क आदि कार्य घटक सम्मिलित है । उक्त मार्गीय सुविधा पर जाने के लिए मुख्य सड़क से रास्ता अधिग्रहण के निमित रैयती भूमि के अर्जन अन्तर्गत मुआवजा भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3510 दिनांक-21.12.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी को राशि 6 लाख 6 हजार 738 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिला पदाधिकारी इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उक्त भूमि भू-अर्जन के निमित विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-258 दिनांक-05.01.2019 द्वारा 30 लाख 29 हजार 978 रुपये का पुनः पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष राशि 24 लाख 23 हजार 240 रुपया विमुक्त किया गया है । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है । अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लें ।

टर्न-19/मुकुल-राहुल/24.03.2021

श्रीमती शालिनी मिश्राः माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि यहां पर जो बताया गया है वह केसरिया बौद्ध स्तूप के सामने जो पिछले छः साल से 6 करोड़ रुपये लगाकर पर्यटन भवन बन रहा है उसके बारे में है जिसका रास्ता नहीं है । वहां पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन छः साल से पूरा नहीं हुआ है और मेरी जो मांग है वह केसरिया बौद्ध स्तूप, केसरिया मेरे विधान सभा में बौद्ध स्तूप जो अवस्थित है वह सिर्फ केसरिया नहीं, चम्पारण नहीं पूरे बिहार का गौरव है । महोदय, मेरा आग्रह है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का सौंदर्यीकरण कराते हुए पर्यटन भवन को भी स्टार्ट किया जाय । उसकी जमीन अधिग्रहण में 6 साल लगने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आग्रह करती हूं माननीय मंत्री जी से कि केसरिया बौद्ध स्तूप को सुंदर बनाये ताकि पर्यटक जो वैशाली से, बौद्ध गया से आते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप को चंद मिनटों में देखते हुए कुशीनगर की तरफ चले जाते हैं जो बिहार के गौरव के लिए अच्छी बात नहीं है । मेरा आग्रह है कि केसरिया बौद्ध स्तूप को सुंदर बनाकर और पर्यटन स्थल को भी स्टार्ट कराया जाय यह मेरा आग्रह है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः माननीय मंत्री महोदय ने...

श्रीमती शालिनी मिश्राः इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगी कि केसरिया, चम्पारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, अगर इसका...

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः आप अपना प्रस्ताव, माननीय मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से आपको जानकारी दी है ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय, एक मिनट आपका संरक्षण चाहती हूं । अगर इसका हम विकास करते हैं तो महात्मा गांधी जी को भी बिहार सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी इसलिए मैं आग्रह करती हूं कि इसको विकसित कराया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः आप आग्रह के साथ-साथ अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय, आपका आग्रह है, माननीय मंत्री जी का आग्रह है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं, लेकिन मेरा भी आग्रह है कि इसको करवाया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री प्रेम कुमार)ः सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41ः श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक –42: श्री राम चन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

श्री राम चन्द्र प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अशोक पेपर मिल्स, रामेश्वर नगर, दरभंगा को एन0सी0एफ0एल0 कम्पनी द्वारा 18.08.1997 ई0 को 471 कर्मियों के साथ अधिग्रहण करने के पश्चात् अब तक इन कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिसका भुगतान करावें, साथ–साथ बंद पड़ी अशोक पेपर मिल को अविलंब चालू कराया जाय ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री: माननीय सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–08.07.1996 के आलोक में अशोक पेपर मिल्स का स्थानांतरण नोभियो कैपिटल फाइनेंस लि0 (एन0सी0एफ0एल0) के निदेशक, श्री धर्म गोधा को मिल चलाने के लिए दिया गया । इस इकाई में वर्तमान में राज्य सरकार का कोई शेयर नहीं है । फलस्वरूप कर्मचारियों का वेतन बकाया का भुगतान एन0सी0एफ0एल0 द्वारा किया जाना है । कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 वाद संख्या–9083/2009 एवं एल0पी0ए0 वाद संख्या–116/2009 लंबित है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि कोर्ट का मामला है । माननीय सदस्य, इसे कृपया वापस लें ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद: महोदय, यहां के एम्पलॉय जो हैं वे भुख के कगार पर हैं, इनको कम से कम प्रयास करके, बिहार सरकार की पहल करके...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): मामला न्यायालय में है, सरकार इस मामले को देख रही है और न्यायालय से निर्णय के बाद ही कुछ किया जाएगा । पुन: आपसे अनुरोध किया जाता है प्रस्ताव वापस लेने के लिए ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक –43: श्रीमती नीतु कुमारी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक –45: श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नौवगछिया अनुमण्डल में बने त्रिमुहान कुरसैला तटबंध को मरम्मत कराते हुए जनहित में इसे पक्कीकरण करावें ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत त्रिमुहान कुरसैला तटबंध का निर्माण वर्ष 2007-08 में कोसी नदी के दायें तट पर 30 किलोमीटर की लंबाई में हुआ है । तटबंध की पूरी लंबाई में नदी किनारे की औसतन दूरी लगभग 500 से 1000 मीटर है एवं नदी के कटाव से तटबंध पूर्णत: सुरक्षित है । इस तटबंध के 23वें किलोमीटर पर स्थिति मदरोनी ग्राम के पास नदी तटबंध के नजदीक रहने के कारण इस स्थल पर कटाव निरोधक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया है । प्रश्नगत तटबंध का उपयोग कटाव निरोधक कार्यों एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु आवागमन एवं स्थल निरीक्षण के लिए विभागीय पदाधिकारी द्वारा उपयोग में किया जाता है, इसकी मरम्मती एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, सर्वेक्षणोपरांत योजना प्राक्कलन पर निधि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना निवेदन वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज: सभापति महोदय, जब पहली बार वर्ष 2005 में मैं एम0एल0ए0 बना था, हमको उतना ज्ञान नहीं था, उसमें पक्कीकरण जो होना चाहिए, बोल्डर पिचिंग नहीं करवाये थे तो हम आग्रह करते हैं । हमारे मंत्री जी को मालूम है कि मदुरूनी गांव, सहौरा गांव कट गया, अब कटरिया रेलवे स्टेशन कटने वाला है । इसलिए महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि उसको बोल्डर पिचिंग तो नहीं चलता है, बोल्डींग मिलता है जीओ बैग से वह पिचिंग करते हुए पुन: उसको ठीक किया जाय और पक्कीकरण बनवाया जाय, यह मैं आग्रह करता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि निधि की उपलब्धता के आधार पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज: ठीक है, लेते हैं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक -46: श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक -47: श्री शमीम अहमद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक -48: श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक : 51, श्री शकील अहमद खां, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक : 52, श्री प्रहलाद यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक : 53, श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार मिथिलांचल के मुख्यालय दरभंगा में उच्च न्यायालय का एक बेंच स्थापित करने के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसा करे ।''

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों का गठन एवं संगठन भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद-246) में वर्णित 'संघ सूची' के क्रम संख्या-78 में है, जोकि केन्द्र सरकार का क्षेत्राधिकार है । राज्य में किसी भी न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है । उच्च न्यायालय का अलग खंडपीठ स्थापित किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस पर विचार किया जा सकेगा । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्ताव वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, जब बिहार एक था तो पटना और रांची में दो हाईकोर्ट की बेंच थी और झारखंड अलग हुआ तो झारखंड की आबादी अभी 4 करोड़ है । सभापति महोदय, रांची में भी हाईकोर्ट और झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि दुमका में भी एक हाईकोर्ट खोला जाएगा, जमीन वगैरह अधिग्रहण हो गया, वहां प्रक्रिया चालू हो गई, 4 करोड़ की आबादी में और सभापति महोदय, हमारे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, लाखों-लाख केस पेंडिंग हैं और उधर से स्टार्ट कीजिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि उच्च न्यायालय का जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, इस पर विचार किया जाएगा ।

टर्न-20/यानपति-अंजली/24.03.2021

श्री संजय सरावगी: मैं एक मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा सभापति महोदय, एक मिनट, महत्वपूर्ण इशू है, पूरा मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर के लाखों-लाख केस पेंडिंग हैं । सभापति महोदय, हमारी आबादी आज के दिन 13 करोड़ की है जब चार करोड़ का झारखंड सभापति महोदय, दो हाईकोर्ट खोल रहा है और हमारी 13 करोड़ की आबादी है तो ठीक है

हाईकोर्ट से, लेकिन निर्णय करती है सरकार और सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार निर्णय करती है तो प्रक्रिया तो प्रारंभ करें मैं, केवल इतना ही चाहता हूं आज तो भारत सरकार को अनुशंसा का मामला सभापति महोदय, कोई भी जो है सरकार तुरंत सहमति दे देती है कि हम अनुशंसा कर देंगे । एक बार पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसा केवल कर दें ठीक है, बाद में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार का मामला है भारत सरकार फिर बात करेगी इसलिए मैं बस एक बार आग्रह करना चाहता हूं, पुनः आग्रह करना चाहता हूं...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होगा और इस पर विचार किया जायेगा, स्पष्ट कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः माननीय सदस्य, कृपया अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः महोदय, इसलिए माननीय सदस्य जी से आग्रह करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि...

श्री संजय सरावगीः सभापति महोदय, बस एक मिनट, हम संरक्षण चाहेंगे । उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से प्रस्ताव मिलेगा तब ? सभापति महोदय, भारत सरकार को निर्णय करना है किंतु यही तो मैं कह रहा हूं कि उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त कर के क्या भारत सरकार को अनुशंसा, राज्य सरकार का निर्णय है, राज्य सरकार खोलती है...

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः माननीय मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है, कृपया अपने प्रस्ताव को वापस लें । कृपया बैठ जाइए ।

श्री संजय सरावगीः महोदय, झारखंड सरकार में राज्य सरकार खोल रही है । मैं आग्रह करूंगा कि मोतिहारी से भी पटना आना पड़ता था, दरंभगा नजदीक में है तो एक बार और आग्रह करते हैं...

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः आपकी भावनाओं से हम सहमत हैं ।

श्री संजय सरावगीः महोदय, कहां बोल रहे हैं कि सहमत हैं, बोलिये न ?

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः हमने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव आने के बाद सरकार विचार करेगी, कृपया अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री संजय सरावगीः बोल रहे हैं विचार करेगी, बोले नहीं मंत्री जी ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः महोदय, हमने तो स्पष्ट कहा है कि इसपर विचार किया जायेगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार)ः कृपया प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री संजय सरावगी: सभापति महोदय, ठीक है । मित्र भी हैं माननीय मंत्री जी और हमको आश्वस्त किये हैं सदन के सामने इसलिए मैं निश्चित रूप से विश्वास करते हुये कि माननीय विधि मंत्री जी ने जो सदन को आश्वासन दिया है, उच्च न्यायालय से प्रस्ताव मंगवाकर भारत सरकार को जरूर भेजेंगे क्योंकि जो है, लाखों-लाख केस पेंडिंग हैं, इसलिए मैं अपना माननीय विधि मंत्री जी के स्पष्ट आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार सिंह ।

क्रमांक-54, श्री संजय कुमार सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-55, श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-56, श्री निरंजन राय, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-57, डॉ॰ सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

डॉ॰ सी0एन0 गुप्ता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैण्ड तक प्रस्तावित डबल डेकर फ्लाई ओवर निर्माण से प्रभावित 291 परिवार को मुआवजा राशि दिलावे ।''

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, समाहर्ता सारण के प्रतिवेदनानुसार छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैण्ड तक कुल 05 भागों में विभक्त कर प्रस्तावित डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्नवत है । पहला भिखारी ठाकुर चौक से गांधी चौक 1266.50 मीटर, दूसरा गांधी चौक से कटहरी बाग 197.40 मीटर, तीसरा कटहरी बाग से नगरपालिका चौक 951.30 मीटर, चौथा नगरपालिका चौक से राजेन्द्र सरोवर 664.20 मीटर, पांचवां राजेन्द्र सरोवर से बस स्टैण्ड 427.70 मीटर कुल 3507.10 मीटर का काम हो रहा है । उक्त विवरणी के तहत गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक प्रस्तावित एलाइनमेंट में कुल 0.61272 एकड़ भूमि असर्वेक्षित भूमि टोपो लैंड है । असर्वेक्षित भूमि के संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-1230 दिनांक 20.12.2019 द्वारा विधि विभाग एवं महाधिवक्ता के परामर्श के अनुसार ये It is beyond question that the bed of public navigable river and the Ganga undoughtly belong to

that category is persued net to be the property of the government and not that of private person के अनुरूप असर्वेक्षित भूमि को सरकारी भूमि माना गया है तथा सर्वेक्षित भूमि/टोपोलैंड सरकारी जमीन पर किसी रैयत के विशेष स्वामित्व अधिकार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । उक्त असर्वेक्षित/टोपो भूमि पर लगभग 291 संरचनाएं अवस्थित हैं । जिनका उपयोग आवासीय एवं व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है । जो आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, उक्त भूमि खंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रूप में कोई विधि मान्यता प्राप्त खतियान, नक्शा अथवा स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। इस संदर्भ में 23.12.2020 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैंड तक प्रस्तावित डबल डेकर फ्लाई ओवर निर्माण हेतु असर्वेक्षित भूमि की उपलब्धता के संबंध में समुचित प्रस्ताव उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया । उक्त निदेश के आलोक में समाहर्ता सारण के आदेश ज्ञापांक 2743 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा विसंकित असर्वेक्षित भूमि की उपलब्धता की दिशा में स्थल निरीक्षण के उपरांत विधि सम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अपर समाहर्ता सारण की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति के द्वारा विसंकित मामलों में स्थल निरीक्षण के पश्चात् 02.01. 2021 को अपना जांच प्रतिवेदन एवं तत्संबंधित प्रस्ताव किया गया तथा असर्वेक्षित भूमि पर प्रभावित हो रही संरचनाओं का विहित मूल्यांकन करा कर एक्स-ग्रेसिया के रूप में उचित क्षतिपूर्ति राशि मात्र का भुगतान करने की अनुशंसा की गयी है । तदनुसार गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में वरीय परियोजना अभियंता बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल छपरा के द्वारा छपरा के भिखारी ठाकुर चौक से बस स्टैंड तक प्रस्तावित डबल डेकर फ्लाई ओवर को आरेखन में पड़े असर्वेक्षित भूमि पर अवस्थित 208 संरचनाओं की क्षतिपूर्ति का प्रस्तुत मूल्यांकन गंगा पर उच्च स्तरीय निर्माण हेतु पत्रांक 404/भू दिनांक-18.02.2021 के द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना को भेज दिया गया है जिसपर उच्च स्तरीय निर्णय अपेक्षित है । सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री सी0एन0 गुप्ता जी के आग्रह पर हमने बैठाकर के सारी व्यवस्था की थी लेकिन माननीय सदस्य का था कि आप पढ़ दीजिए सारी जानकारी इनके द्वारा मैं करा दिया हूं अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप वापस ले लीजिये ।

डॉ॰ सी0एन0 गुप्ताः माननीय महोदय जी, यह छपरा के लिए हॉट केक है, बर्निंग टॉपिक है और 291 परिवार इससे एफेक्टेड हो रहा है इस संबंध में डी0एम0 की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इसको एक्स-ग्रेसिया करार करके मुआवजा देने की बात नहीं कही है लेकिन जो

लोग एफेक्टेड हो रहे हैं उनलोगों ने हाईकोर्ट में भी शायद अपनी अर्जी दाखिल की है, स्टे भी लगा है जहां तक हमें जानकारी है और हम यह चाहेंगे कि उनलोगों का जो डिमांड है कम्पन्सेशन का वह मिलना चाहिए, उनका हक बनता है वहां के लोग 100 वर्षों से ज्यादा वहां रह रहे हैं तो यह टोपो लैंड कैसे हो जायेगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से सारी बातों की जानकारी आपको दी है उस पर स्पष्ट आ गया है और मामला आपने कहा है कि न्यायालय में लोग ले गए हैं, थोड़ा वेट कीजिए न्यायालय के फैसले का भी, सरकार को...

डॉ॰ सी0एन0 गुप्ता : माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री जी ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: महोदय, इसमें स्पष्ट पहले भी बताए थे माननीय सदस्य जी को कि अभी जो भवन वगैरह कुछ बना हुआ है उसका कुछ मुआवजा देने की बात हो रही है तय होकर मुआवजा मिलेगा । जमीन या सर्वेक्षित भूमि है इसका कोई खाता-खेसरा नहीं है इसलिए यह कमिटी भी बन चुकी है और जिस दिन इसकी घोषणा सरकार उनको वापस करे उसका मुआवजा उस दिन मिलेगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): वापस करने का संकल्प लें ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री: महोदय, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना संकल्प वापस लेने का कष्ट करें ।

डॉ॰ सी0एन0 गुप्ता: महोदय, मंत्री जी के आश्वासन से मैं अपना प्रस्ताव वापस करता हूं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

<u>क्रमांक-58 श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा के अन्तर्गत वर्ष 1955 से 1992 तक संचालित मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को ''रैक प्वाइंट'' बनाने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध करें।''

सभापति(श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री: माननीय सभापति महोदय, जिला पदाधिकारी मधेपुरा से प्राप्त पत्रांक-178 दिनांक-10.03.2021 के आलोक में मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को रैक प्वाइंट बना देने पर इस क्षेत्र में व्यापार में काफी सुविधा एवं विकास होगा ।

अत: मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को रैक प्वाइंट बनाना उपयोगी है । अत: मुरलीगंज रेलवे स्टेशन को रैक प्वाइंट बनाने हेतु राज्य सरकार भारत सरकार के रेल

मंत्रालय से अनुरोध करेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, दो शब्द हम अपना रखेंगे...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि आपका जो प्रस्ताव है उसके अनुकूल सरकार का जवाब है और भारत सरकार इस पर अनुशंसा कर रही है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: महोदय, एक मिनट, समय दिया जाएगा, रैक प्वाइंट ठीक किया जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): अब आपके पक्ष में जब सरकार की सहमति बन गई कि राज्य सरकार...

श्री निरंजन कुमार मेहता: महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देते हैं और मैं अपना प्रस्ताव वापस करता हूं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/राजेश/24.3.21

क्रमांक-59 : श्री इजहारुल हुसैन, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-60 : श्री अशोक कुमार, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-61 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-62 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-63 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के पातेपुर विधान सभा क्षेत्र अर्न्तगत सुक्की घाट से प्यारेपुर घाट होते हुए चॉदपुरा बलिगॉव घाट, नून नहर जो कोठिया पुल होते हुए नून नदी में मिल जाती है, का उडाहीकरण करावें ।''

श्री मदन सहनी, मंत्री: महोदय, पूर्वी चंपारण जिले के चकिया रेलवे स्टेशन के पास चौर से निकलकर समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड के मुशापुर ग्राम के निकट जमुआरी नदी से मिलकर बलान नदी बन जाती है जो बेगूसराय जिला के तेघड़ा अनुमंडल में झींठ ग्राम के पास बूढ़ी गंडक नदी में मिलती है । इसके माध्यम से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिला के विभिन्न चौरों एवं कैचमेट एरिया का जल निस्सरण होता है । इन इलाकों का

ढ़ाल अत्यन्त कम होने के फलस्वरुप पानी का प्रवाह धीमी गति से होता है । वस्तुतः नून नदी एक बरसाती नदी है । गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है तथा बरसात सहित शेष अवधि के दौरान नदी में पानी उपलब्ध रहता है । उक्त नदी के उड़ाहीकरण कार्य हेतु विस्तृत सर्वेक्षरोपरान्त तकनीकी संभाव्यता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांकः 1340 दिनांकः 02.03.21 से निदेशित किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशनः सभापति महोदय, चूंकि इसी वित्तीय वर्ष में बाढ़ की जो विभिषिका झेला है, उसमें सकरा के माननीय विधायक भी बैठे हुए हैं उसमें नून नदी जो गुजरी है, हमारे पातेपुर विधान सभा में पूरा उथल होने के कारण, समतल स्थिति में हो जाने के कारण, सकरा और पातेपुर विधान सभा पूरी तरह जलमग्न हो गई थी, इस कारण सरकार का हजारों करोड़ रूपया का दुरूपयोग होता है । यदि एक बार...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री ने कहा है कि आपके प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है, काफी विस्तार से बताया ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशनः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जो बताये उसको हम विस्तार से सुन रहे थे, वह हमारे संज्ञान में आ भी गया लेकिन माननीय मंत्री जहां से नून नदी की चर्चा किये हैं और वह योजना जो जाकर, हमने उनसे निवेदन दिया कि पातेपुर विधान सभा के सुक्की घाट से और जो कोठिया घाट तक जाती है नून नदी नहर, हमने उस पर चर्चा की लेकिन माननीय मंत्री ने पूरा नून नदी जहां से निकली है, उसकी चर्चा की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मेरे पातेपुर और सकरा विधान सभा दो विधान सभा केवल उसको उड़ाहीकरण और बांध निर्माण कराने से यदि बाढ़ की विभिषिका से कभी भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस पर विचार दें माननीय मंत्री ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः महोदय, हमने तो बताया कि नून नदी एक बरसाती नदी है और इसकी उपयोगिता के लिए विभाग मुजफ्फरपुर के मुख्य अभियंता को लिखा गया है, उसकी रिपोर्ट आने पर विभाग उस पर कार्रवाई करेगी ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): बहुत स्पष्ट कह दिया है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशनः महोदय, यह पिछले सदन में भी जो पूर्व विधायिका थी पातेपुर की.....

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आज की बात कीजिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशनः सभापति महोदय, केवल एक मिनट आपका संरक्षण चाहिए । क्योंकि पिछले सदन में जो विधायिका थी पातेपुर विधान सभा की, उन्होंने भी गैर सरकारी संकल्प में इस प्रश्न को उठाया था लेकिन पिछली बार भी यही जवाब माननीय विभागीय मंत्री जी

के द्वारा आया था, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछला जवाब आया है क्या उसी जवाब से मैं आश्वस्त हो जाऊं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, पुरानी बातों को छोड़ दीजिये आप । आज जो प्रस्ताव आया है उस पर माननीय मंत्री जी ने जो आदेश दिया है, जनता के कार्रवाई को लेकर के।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: सभापति जी, कब तक आशा रखें, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें । कब तक ?

श्री मदन सहनी, मंत्री: महोदय, रिपोर्ट आने के बाद हमने बताया है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये । रिपोर्ट आने के बाद ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: सभापति महोदय, एक मिनट । विभागीय रिपोर्ट आनी है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन: ठीक है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 65 : सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0

सभापति (श्री प्रेम कुमार): श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी को प्राधिकृत किया गया है ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 66 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 67 : श्री शंम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 68 : श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 69 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत अंतर्गत सिजुआ नदी में साहेब के बास के नजदीक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे ।''

श्री जयंत राज, मंत्री: सभापति महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित दो पथों यथा चिरैया-सेमरा से सेमरा-शिकारगंज पथ एवं पकड़ीदयाल-ढाका रोड से मलिया पथ से बीच में कच्ची सड़क की लम्बाई 2 किलो मीटर पर अवस्थित है । इस 2 किलो मीटर की लम्बाई में कोई योग बसावट नहीं रहने के कारण यह पथ किसी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम पर एक किलो मीटर दूरी पर एवं

डाउन स्ट्रीम में लगभग एक किलो मीटर की दूरी पर पुल अवस्थित है । अभिस्तावित पुल का निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता: सभापति महोदय, उसकी इंक्वायरी करा ली जाय, जो हमने बात कहीं है उसमें बसावट है कि नहीं । सरकार उसको दिखवा लें अपने से ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): सरकार दिखवा लेगी आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता: नहीं, वह जहां से शुरू होती है शिकारगंज से और सेमरा जाते महादलित टोला तक जोड़ना है, रोड भी हो गया है, केवल पुल के चलते रोड बाधित है और सरकार को रिपोर्ट आई है कि वहां एक भी बसावट नहीं है, यह कहां से रिपोर्ट आई है?

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपके सुझाव के मुताबिक सरकार दिखवा लेगी । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता: महोदय, मंत्री जी बतायें कि कब तक इस काम को करायेगी ?

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री: सभापति महोदय, उसको दिखवा लेते हैं । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता: महोदय, एक सेकेंड हम अपना प्रस्ताव तो वापस ले लेंगे, लेकिन उसकी जांच करवा ले । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): ठीक है, दिखवा लेंगे । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 70 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 71 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 72 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

टर्न-22/सत्येन्द्र/24-03-21

क्रमांक-73 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के बेला, बसमतिया, पथराहा, मानिकपुर, भंगही, सोनापुर, नबाबगंज एवं अचरा पंचायत को मिलाकर फुलकाहा नाम से एक नया प्रखंड का निर्माण करावे।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: माननीय सभापति महोदय, अररिया जिला के फुलकाहा को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया से प्रखंड सृजन संबंधी 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जय प्रकाश यादव: महोदय मैं बताना चाहूंगा..

सभापति(श्री प्रेम कुमार) माननीय मंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। अत: उन्होंने अनुरोध किया है आपसे कि आप प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जय प्रकाश यादव: ठीक है महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) सर्वसम्मति ये यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 74 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

श्री राणा रणधीर: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल अनुमंडल स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, पकड़ीदयाल को प्लस-2 स्तरीय उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, अभी तो इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो हम इसको अलग से दिखवा लेंगे । अभी माननीय सदस्य इसे वापस ले लें ।

श्री राणा रणधीर: सभापति महोदय, सकारात्मक जवाब है । माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं, मंत्री भी हैं इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-75 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 76 : श्री भारत भूषण मंडल, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-77 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 79 : मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 80 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुशमाहा पंचायत के औसरी घाट से रामगंज होते हुए कुशमाहा पेट्रोल पम्प तक जर्जर सड़क का चौड़ीकरण-मजबूतीकरण करावे ।''

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री जयंत राज,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ ग्रामीण कार्य पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत बैजनाथपुर से औसरी भाया कुशमाहा के नाम से स्वीकृत है । उक्त पथ की निविदा निष्पादन के उपरांत एकरारनामा से पूर्व संवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । वर्ष 2020 में आयी बाढ़ के कारण पथ की स्थिति और खराब हो गयी है । वर्त्तमान में कार्य स्थल के अनुरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है, तदुपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, यह सीमा सड़क से जुड़ा हुआ है और 2016 से हम इस मामले को उठाते आ रहे हैं, 2018 में इसका वर्क आर्डर प्राप्त हुआ, उसके बाद संवेदक की मृत्यु हो गयी, संवेदक की मृत्यु होने के बाद वर्ष 2018, 2019 2020 और अभी 2021 चल रहा है, ये चार बार हम जो है इस संकल्प को लाये हैं लेकिन अभी तक रोड का जो है वर्क आर्डर नहीं मिला और अब कहा जा रहा है कि डी0पी0आर0 समर्पित होगा । हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कबतक इस सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और कालीकरण करा दिया जायेगा और एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय ।

श्री जयंत राज,मंत्री: चूंकि उसकी मृत्यु हो गयी थी इसलिए कुछ बिलम्ब हुआ है लेकिन उसको जल्द से जल्द हमलोग करवा लेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी: कबतक ,समय सीमा मंत्री महोदय..

अध्यक्ष: प्रश्नकाल नहीं है ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, पांच साल से लोग जो है परेशान हैं और प्रतिदिन हजारों गाड़ियों का उस पर परिचालन होता है। एक समय सीमा हमको तय कर दिया जाय माननीय मंत्री महोदय ।

श्री जयंत राज, मंत्री: जल्द से जल्द ।

अध्यक्ष: चलिये वापस लीजिये । जल्द से जल्द बोल दिये हैं ।

श्री विद्या सागर केशरी: माननीय अध्यक्ष महोदय के आग्रह पर और माननीय मंत्री महोदय के आग्रह पर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : श्री अशोक कुमार चौधरी, स0वि0स0

श्री अशोक कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत ढ़ोली रेलवे स्टेशन से पश्चिम सबहा-मुरौल पथ पर अवस्थित रेलवे गुमटी पर आर0ओ0बी0 निर्माण के लिए रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रस्तावित रेलवे लाईन पर अवस्थित आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश किया जायेगा । वर्त्तमान में आर0ओ0बी0 की स्वीकृत सूची में उक्त आर0ओ0बी0 शामिल नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक- 82 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक- 83 : श्री राम सिंह, स0वि0स0

श्री राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण, बगहा शहर स्थित तीनों रेलवे फाटक की जगह उपरीगामी पुल के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सिफारिश करें ।''

श्री नितिन नवीन,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के कि0 मी0 91 बगहा एवं कि0 मी0 94 में रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है । राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के कि0मी0 97 में रेलवे फाटक आर0ओ0बी0 का निर्माण प्रस्तावित नहीं है चूंकि कि0मी0 97 से आगे बाल्मिकीनगर टाईगर प्रोजेक्ट पड़ता है । अतएव 95.2 कि0मी0 से यू0पी0 बोर्डर तक न्यू एलायमेंट के लिए डी0पी0आर0 निविदा प्रकाशित की गयी है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, 2019 में माननीय नितीन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री आकर शिलान्यास कर चुके हैं और भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अभी वह रद्दी के टोकरी में पड़ा हुआ है इसलिए प्रस्ताव करता हूँ कि इसको अविलम्ब भेजा जाय । चूंकि वह गन्ना का क्षेत्र है, जंगल की वहां से काफी दूरी है माननीय पथ निर्माण मंत्री जी इसलिए आप उसको

अविलम्ब भिजवाने की कृपा करें चूंकि केन्द्रीय मंत्री पथ निर्माण जी आकर उसका शिलान्यास कर चुके हैं 2019 के जनवरी में ।

अध्यक्षः ठीक है । वापस ले लीजिये अब ।

श्री राम सिंहः वापस लेता हूँ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-23/मधुप/24.03.2021

क्रमांक-84 : श्री मेवालाल चौधरी, स0वि0स0

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला अन्तर्गत बदुआ जलाशय से संग्रामपुर लिंक कैनाल की खुदाई करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बदुआ जलाशय से निस्सरित बदुआ बायॉ मुख्य नहर के आर0डी0 18.10 से बदुआ बेलहरना लिंक नहर निस्सरित है । बदुआ बेलहरना लिंक नहर के आर0डी0 7.50 से निस्सरित स्केप चैनल के माध्यम से 15 क्यूसेक जलश्राव बेलहरना नदी पर निर्मित बेलहरना बियर को दिया जाता है । बेलहरना बियर से निस्सरित बेलहरना बियर कैनाल के माध्यम से संग्रामपुर प्रखंड के संग्रामपुर, झिकुलिया, मकनपुर, श्रीपुर, जाला, जमुआ गॉव को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । बदुआ बेलहरना लिंक नहर से निस्सरित उक्त स्केप चैनल में गाद जमा है । विभागीय पत्रांक 318, दिनांक 8 मार्च, 2021 द्वारा इस चैनल में जमा गाद की सफाई हेतु प्राक्कलन तैयार करने के लिए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर को निदेशित किया गया है ।

इसलिए आग्रह है माननीय सदस्य से कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद करें कि इस फाइनेंसियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंसियल ईयर में हो जाय ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : इस फाइनेंसियल ईयर में 2-3 दिन ही बचा है, अगले फाइनेंसियल ईयर में ।

श्री मेवालाल चौधरी : धन्यवाद महोदय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-85 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियॉ प्रखण्ड के मोतनाजे से महुलियॉ मरनैंया होकर लगड़ी तक गुजरने वाली गागन नदी पर रिंग बांध का निर्माण करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गागन नदी अपने उद्गम स्थल नेपाल प्रभाग से निकलकर मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियॉ प्रखण्ड कार्यालय से लगभग1 किलोमीटर पश्चिम में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मोतनाजे ग्राम में भारत में प्रवेश करती है तथा मरनिया, महथा, लगदी, जानकीनगर होते हुये जयनगर खुटौना मार्ग को तेनुआही के नजदीक पार करते हुए पश्चिमी कोसी नहर को छौड़ाही के नजदीक सी0डी0 वर्क के द्वारा क्रॉस करती है । नदी 5 से 10 मीटर की चौड़ाई में एवं 1 से 1.5 मीटर की गहराई में बहने वाली नाला के समान है । इसमें केवल बरसात के समय पानी आता है । बॉध बनाने के लिए इसके दोनों किनारे लगभग 18 कि0मी0 लम्बाई में काफी क्षेत्रफल में भूमि अर्जित करना होगा । इससे बेहतर होगा कि इसकी चौड़ाई 10 से 15 मीटर तथा गहराई 2 से 2.5 मीटर कर दिया जाय ताकि ज्यादा पानी का बहाव हो सके । इसी पर विभाग विचार कर रहा है और इसपर जल्द ही काम शुरू करेगा ।

इसलिये माननीया विधायिका से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रभावित होता है यह एरिया । पोदमा से पश्चिम धौरी नदी में मिलाना है । थोड़ा इसपर ध्यान दिया जाय । मैं प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्रमांक-86 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री संतोष कुमार मिश्र ।

(अनुपस्थित)

क्रमांक-87 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी प्रखण्ड में बाढ़ पोखर के पास अतिपिछड़ा आवासीय बालिका उच्च विद्यालय को प्रारम्भ करावे ।''

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत केवटी प्रखंड के बाढ़ पोखर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 12 दिनांक 19.01.2006 द्वारा 3,29,21,000/- रू0 मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी । पुनः विभागीय आदेश संख्या 1 दिनांक 8.01.2015 द्वारा पुनरीक्षित राशि 3,78,71,000/- रू0 मात्र विद्यालय भवन के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को स्वीकृति दी गई । परंतु भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान समय तक में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह पूर्ण नहीं कराया गया । सक्षम प्राधिकार को हस्तांतरण नहीं किया गया है जिसके कारण विद्यालय का संचालन नये भवन में नहीं किया जा सका । भवन को उपयोगी एवं कार्यशील बनाने हेतु भवन निर्माण विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया है । वर्तमान में दरभंगा जिलान्तर्गत ट्रायसेम भवन सदर थाना के बगल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय 280 आवासन क्षमता संचालित है । हमलोगों ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा है । जैसे ही हमें भवन आ जायेगा, फिर हमलोग उसमें स्थापित करेंगे ।

माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस कर लें ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, वह विद्यालय काफी दिनों से बनकर तैयार है । लगभग हमारे अंदाज से 25 परसेंट कार्य उसमें बचा हुआ है । उस भवन में अवैध रूप से लोग वहाँ पर जुटते हैं, जुआबाजी होती है, बहुत तरह का और भी धंधा वहाँ किया जाता है । उस इलाके के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । जब उतना पैसा राज्य सरकार का उसमें लग चुका है फिर इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि अगले वित्तीय वर्ष में उसे लेकर हस्तांतरित कर दिया जायेगा ।

श्री मुरारी मोहन झा : धन्यवाद महोदय । मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-88 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-89 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

क्रमांक–90 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित चार रेलवे गुमटी, बेलोरी, रामबाग, हांसदा एवं पूर्णिया कोर्ट पर R.O.B. का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिला के रानी पतरा रेलवे स्टेशन एवं पूर्णिया रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित बेलोरी एल0सी0 नम्बर के0जे0 13 पर आर0ओ0बी0 एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा जी0ओ0डी0 अनुमोदन हेतु रेलवे को भेजा गया है । अनुमोदन के उपरांत डी0पी0आर0 तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य है ।

शेष तीन स्थानों पर रामबाग, हांसदा और पूर्णिया कोर्ट पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन की माँग की गई है । संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, एक जगह का मंत्री जी ने कहा है, धन्यवाद है उसके लिए । मुझे पूरी आशा है, युवा मंत्री हैं, तीनों जगह जो हैं, उनका भी शीघ्र ही निर्माण करवा देंगे । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–91 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–92 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–93 : श्री चेतन आनंद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–94 : श्री बच्चा पाण्डेय, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–95 : श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–96 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक–97 : श्री शाहनवाज, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

टर्न–24/आजाद/24.03.2021

क्रमांक–98 : श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय, खगड़िया एव समस्तीपुर को मिलाकर बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा प्रदान करे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय को प्रमंडल बनाने हेतु सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एकमात्र मुंगेर ऐसा प्रमंडल है जो 6 जिलों से मिलकर बना हुआ है और बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल है । मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि यह दो भागों में विभक्त प्रमंडल है, एक गंगा के उत्तर में और एक गंगा के दक्षिण में और बेगूसराय जो बिहार के मध्य में स्थित है और इसको प्रमंडल बनाने से समस्तीपुर और खगड़िया के लोगों को प्रशासनिक सुविधा भी मिलेगी । बेगूसराय का आर्थिक महत्व भी है । बिहार को सबसे अधिक पटना के बाद राजस्व देने वाला जिला, प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला, ऐतिहासिक रूप से श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि और नामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि यह सब होने के बाद भी जहां पर आई0ओ0सी0 है, रिफाईनरी है, बरौनी डेयरी है, और भी व्यवसायिक संस्थान है, जिसकी वजह से देश के लोग यहां पर आते हैं और उनको प्रशासनिक असुविधा झेलनी पड़ती है ।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि यदि बेगूसराय का प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति प्रमंडल बनने से बनेगी तो बेगूसराय के लोगों को और भी आकांक्षायें है, चाहे वह रामधारी सिंह दिनकर के उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो अथवा छोटी–मोटी समस्यायें हैं, जो मेरे क्षेत्र की भी समस्या है, जैसे डिग्री कॉलेज की समस्या हो, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या हो, इन सबका भी समाधान हो सकेगा एकमात्र प्रमंडल बनने से । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि माननीय मंत्री महोदय बेगूसराय जो ऐतिहासिक उपेक्षा का शिकार रहा है, इतना कुछ राज्य को देने के बावजूद भी, इसके ऊपर ध्यान देंगे, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-99 : श्री कृष्णनन्दन पासवान, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-100 : श्री सउद आलम, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-101 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-102 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : किन्हीं का बचा हुआ है तो पढ़ दीजिए ।

क्रमांक-65 : सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0 (अधिकृत श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी)

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह ने पत्र द्वारा मुझे अधिकृत की है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं के मानदेय में देय राज्यांश को 1150 से बढ़ाकर 3000 रूपये करे । ''

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, आई0सी0डी0एस0 अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 है । वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा सामान्य केन्द्रों की आंगनबाड़ी सेविकाओं की मानदेय 4500 रू0 प्रतिमाह एवं मिनी केन्द्रों के सेविकाओं का मानदेय 3500 रू0 निर्धारित है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्रों के सेविकाओं को 1150 रू0 एवं मिनी केन्द्रों के सेविकाओं को 900रू0 प्रतिमाह राज्य भत्ता दिया जाता है । जिसका वहन पूर्णत: राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है ।

पूर्व से ही विभागीय संकल्प संख्या-3605 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा सामान्य केन्द्रों की सेविकाओं को राज्य भत्ता की राशि को 1150 रू0 से बढ़ाकर 1450 रू0 एवं मिनी केन्द्रों की सेविकाओं के लिए राज्य भत्ता की राशि 900रू0 से बढ़ाकर 1130रू0 किया गया है, जो 01.04.2021 से देय होगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–12 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज के बी0एल0डी0 उच्च विद्यालय, रानीगंज में एक स्टेडियम का निर्माण करावे । ''

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आऊटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के प्लस–2 बी0एल0डी0 उच्च विद्यालय, रानीगंज में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–122 दिनांक 16.06.2020 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–71 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दौलतपुर चांदी तथा हरौली से मनुआ–ईजरा–दिधी पंचायत होते हुए महनार (बिलट चौक) जाने वाली नहर का उड़ाही एवं जीर्णोद्धार करावे।''

श्री संजय झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि प्रश्नगत नहर एक जल निःस्सरण नाला है, जो गंडक नदी के बाँये किनारे अवस्थित तिरहुत तटबंध के कि0मी0 76.695 से निश्चित होकर हरौली शहबाजपुर–सलेमपुर फुलहरा, ईजरा, ब्रह्मस्थान, दिग्धीकलाम, मलमला चौड़, घोड़ा चौक, विदुपुर रेलवे स्टेशन से आगे माघौल, वाजितपुर एवं भिखनपुरा होते हुए महनार अवस्थित बिलट चौक के निकट गंगा नदी में मिलती है । इस नाले का सम्पूर्ण रीच कटिंग में है । जिसके कारण नाले का वेड लेवल पूरी लम्बाई में एन0एस0एल0 से औसतन दो मीटर से चार मीटर नीचे है । विभिन्न ग्रामों में कई पक्की ग्रामीण सड़क, पुल इस नाले को पार करती है । जिनका सील लेवल नाले के वेड लेवल से ऊँचा है । बरसात के दिनों में इस नाले में पानी रहता है । जिस दौरान पानी के बहाव

में कोई समस्या नहीं होती है । वर्तमान में इस नाले में गाद की कोई समस्या नहीं है । बरसात अवधि के अतिरिक्त सामान्य दिनों में यह नाला प्रायः सुखा रहता है परंतु विभागीय पत्रांक-1636 दिनांक 23 मार्च, 2021 से मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को विस्तृत समीक्षोपरान्त तकनीकी प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है ।

इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि आप इसे वापस ले लें।

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-37 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चनपटिया चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, इसमें तो प्रायरिटी में लग ही रहा है, गन्ना उद्योग जहां चीनी मिल थे, उसके जगह पर इथेनॉल प्लांट लगाये जा रहे हैं, यह सरकार की प्राथमिकता में है ।

माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब कोई शेष नहीं हैं । अब गैर-सरकारी संकल्प समाप्त हुए ।

टर्न-25 एवं 26/ज्योति-शंभु/24.03.21/

समापण भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 19 फरवरी, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-22 (बाईस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 19 फरवरी, 2021 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह-समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । सप्तदश बिहार विधान सभा के बहुजन समाज पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री मो० जमा खान द्वारा जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल में विलय किए जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन बहुजन समाज पार्टी विधायक दल का जनता दल

(यूनाईटेड) विधायक दल में विलय की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । इसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 तथा प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन-2) अध्यादेश, 2020 की प्रति सदन पटल पटल पर रखी गयी । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा कुल-08 (आठ) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 22 फरवरी, 2021 को वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ और यह दिनांक 23 फरवरी, 2021 को भी जारी रहा । जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 23 फरवरी, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 24 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 25 फरवरी, 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा दिया गया ।

दिनांक 26 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 04 मार्च, 2021 को अमर कथा शिल्पी और महान साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी जयंती पर आसन एवं सम्पूर्ण सदन की ओर से शत-शत नमन और वंदन किया गया ।

दिनांक 08 मार्च, 2021 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसन तथा सदन की ओर से महिला माननीय सदस्यों सहित राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी गयीं ।

दिनांक 17 मार्च, 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 के अधिकाई व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 23 मार्च, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'', ''विनियोग लेखे'' तथा ''राज्य का वित्त'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के परिणाम बजट एवं ग्रीन बजट पुस्तिका की प्रति, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के जेंडर बजट एवं बाल कल्याण बजट पुस्तिका की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इसी दिन प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजकीय संकल्प का प्रस्ताव यथा- कवि कोकिल ''विद्यापति'' के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम ''विद्यापति एयरपोर्ट'' किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे सदन द्वारा पारित किया गया ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार विनियोग विधेयक, 2021.

2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021.

3) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021.

4) बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021.

5) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984-85) विधेयक, 2021.

6) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021.

7) बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021.

8) बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021.

9) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021.

10) बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021.

11) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.

12) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.

13) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

14) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021.

दिनांक 24 मार्च, 2021 को बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न हुई । माननीय सदस्य श्री महेश्वर हजारी एवं माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी के पक्ष में अलग-अलग नामांकन प्राप्त हुए थे । निर्वाचन के क्रम में विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें श्री महेश्वर हजारी 124 (एक सौ चौबीस) मतों से निर्वाचित हुए । श्री महेश्वर हजारी बिहार विधान सभा के 18वें (अठारहवें) उपाध्यक्ष चुने गए ।

सत्र के दौरान कुल-4397 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3616 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 78 अल्पसूचित, 3075 तारांकित एवं 463 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-377, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर 132, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-1922, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-130, शेष 1055 प्रश्न अनागत हुए तथा 2847 प्रश्नों के उत्तर ऑन-लाईन माध्यम से प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-375 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 41 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 326 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 08 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-743 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 720 स्वीकृत हुए एवं 23 अस्वीकृत हुए । कुल-334 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 290 स्वीकृत एवं 44

अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-102 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान प्रत्येक दिन के प्रश्नकाल सहित सदन की अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र, पटना तथा डीडी बिहार चैनल, दूरदर्शन केन्द्र, पटना द्वारा किया गया । साथ ही साथ इसका सीधी वेबकास्टिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं । मेरी यह कामना है कि यह त्योहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाए ।

मां शारदा भवानी की आराधना से इस लोकतंत्र के मंदिर में पवित्र भावना से समभाव और सद्भाव के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया । आप सबों के सहयोग से 19 फरवरी से जो यह सदन शुरू हुआ वह 19 मार्च तक बहुत ही तरीके से सुचारू रूप से चला । सदन प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रश्नों के जवाब ससमय आयें इसको

सुनिश्चित करने का प्रयास किया । सभी माननीय मंत्रियों से भी हमने आग्रह किया कि वे मोनेटरिंग करें और इस मोनेटरिंग का परिणाम निकला कि कई दिन 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विभाग के जवाब आये । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों के प्रति जब गंभीरता दिखी तो उसने सकारात्मक और कारगर कार्रवाई की । विभाग के पदाधिकारियों ने भी जिस जिम्मेवारी के साथ काम किया है वे धन्यवाद के पात्र हैं । जिस विभाग ने सबसे बेहतर काम किया है उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं ।

प्रेस मीडिया के बंधुओं ने भी समाचारों का संकलन सकारात्मक भाव से किया। विधान सभा की गरिमा बढ़ाने में सभी का सहयोग रहा ।

कल दिनांक 23 मार्च को जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी । कारण जो भी हो परंतु यह कहीं से मर्यादित नहीं थी । इस पर हमलोग शर्मसार हुए हैं । भविष्य में ऐसी घटना फिर घटित नहीं हो, लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में हम सबलोगों को सजग रहने की जरूरत है ।

हमारा भी अध्यक्ष के रूप में पहला अनुभव है, हम आत्मनिर्भर बिहार की ओर कदम बढ़ाने के लिये सभी के साथ मिल कर चलने का भाव रखते हैं ।

आसन बिना दबाव के विधायकों के द्वारा लाये गये जनहित के विषय को गंभीरता से लेता है और जनहित की समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यकतानुसार निर्देश के रूप में सरकार से आग्रह भी करता है ।

माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूं, इस सत्रावधि में कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है ।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय ओम प्रकाश लाल

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश लाल का निधन दिनांक 22 नवम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय लाल धनबाद जिला के बाघमारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985, 1990 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहने करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय हरे कृष्ण यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरे कृष्ण यादव का निधन दिनांक 14 मार्च, 2021 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव दरभंगा जिला के बहेड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च, 2005 एवं नवम्बर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे समाजवादी विचाराधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष : ओम् शांति । मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।